

सूचना का अधिकार

अधिनियम 2005 सम्बन्धी
17 मैनुअल का संग्रह पशुपालन
विभाग उत्तराखण्ड
संशोधित संस्करण
वर्ष 2018-19

अपर निदेशक, पशुपालन विभाग
गढवाल मण्डल पौडी।

विषय सूची

मैनुअल	विवरण	पृ0स0
	प्रस्तावना	1-2
1	सगंठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य	3-8
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	9-13
3	विविश्चाय करने की प्रक्रिया में पालन की जानेवाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदाईत्व के माध्यम सम्मिलित है।	14-15
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयम् द्वारा स्थापित मापदण्ड	16-17
5	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख	18-19
6	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियन्त्रणाधीन हैं प्रवर्गों का विवरण।	20-23
7	किसी व्यवसाय की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हो।	24-28
8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियां और अन्य निकायों के निजमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिसका उनके मांग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों या ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी का विवरण।	29-38
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।	39-40
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबन्धित है।	41-42
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	43-45
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों में फायदा ग्राहियों के व्यौर सम्मिलित है।	46-47
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां।	48-49
14	किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्धों में जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	50-51
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।	52-53
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम व अन्य विशिष्टियां।	54-55
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय।	56-66

प्रस्तावना—

ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वर्ष 1882 में सिविल वेटनरी विभाग की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य प्रदेश में अश्व उत्पादन को प्राथमिकता देना था, इनके अन्तर्गत बाबूगढ़ (मेरठ) में एक डिपो खोला गया, जहां सामान्य प्रबन्धक के साथ-साथ प्राथमिक चिकित्सा तथा अश्व प्रदर्शनी, मेलो का आयोजन कराया जाता था। इसको प्रभावी बनाने हेतु सन् 1901 में 7 पशु चिकित्सालयों की स्थापना की गई।

वर्ष 1899 में ग्लार्डर एण्ड फारसी तथा 1910 में पशु फार्म मझरा (लखीमपुर) एवं वर्ष 1913 में माधुरी कुण्ड (मथुरा) में स्थापित किये गये। पंजाब पशु चिकित्सा विद्यालय लाहौर में पशु सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

वर्ष 1916 में पशुपालन के कार्यों को गति देने के लिए डिप्टी सुपरटेन्डेन्टों के अधीन रखकर तीन सक्रिलों को बांटा गया तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट 1972 के लागू होने पर कार्यों में आयी समस्याओं के फलस्वरूप इस वर्ष केटिल ब्रीडिंग कार्य हेतु मझरा फार्म (खीरी) माधुरी कुण्ड फार्म (मथुरा) कृषि विभाग को सौंप दिये गये ताकि वेनीपुर (आगरा) व आटा (जालौन) में क्वारेन्टाइन स्टेशन खोले गये। वर्ष 1933 में सब सक्रिलों को समाप्त करते हुए वर्ष 1935 में वेटनरी इनवेस्टीगेशन आफिसर नियुक्त किये गये। पशु प्रजनन का कार्य कृषि विभाग द्वारा सन्तोषजनक न होने के कारण वर्ष 1939 में यह कार्य सिविल वेटनरी डिपार्टमेन्ट को सौंप दिया गया। इस प्रकार 1944 तक धीरे-धीरे पशु सम्बन्धी सभी कार्य सिविल वेटनरी डिपार्टमेन्ट को स्थानान्तरित कर दिये गये।

1 अप्रैल 1944 में निदेशक पशुपालन विभाग की स्थापना की गयी जिसके द्वारा वर्ष 1946 तक सिविल वेटनरी डिपार्टमेन्ट के सभी कार्य निदेशक पशुपालन विभाग के नियंत्रण में ग्रहण कर लिए गये।

पशुपालन निदेशालय स्थापित होने के पश्चात पशु, लघु पशु, मछली, कुक्कुट, डेरी, गौशाला, रोग नियंत्रण एवं बचाव कार्य हेतु विभिन्न पदों की स्थापना की गई। वर्ष 1945 से वैक्सीन एवं सीरम के निर्माण हेतु वी०पी०सेक्शन एवं कृत्रिम गर्भाधान व बांझपन हेतु ऐनीमल जेनेटिस्ट की नियुक्ति की गई व वर्ष 1946 में माधुरी कुण्ड (मथुरा) क्षेत्रीय पशुधन अनुसंधान केन्द्र खोला गया।

1947 में पशु चिकित्सालय नियंत्रण हेतु यू०पी०प्रोविलाइजेशन ऑफ हास्पिटल एक्ट वेटनरी प्रेक्टिशनर के पंजीकरण हेतु यू०पी०वेटनरी कौन्सिल एक्ट पारित किये गये।

वर्ष 1953 में गौ सवर्धन इनक्वायरी कमेटी का गठन किया गया, जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 अस्तित्व में आया। आने वाले समय की मांग को देखते हुए क्रमशः 1947 एवं 1960 में पशु चिकित्सा विभाग एवं पशुपालन महाविद्यालय मथुरा एवं पन्तनगर (नैनीताल) की स्थापना की गई, जिसके अन्तर्गत 4 वर्षीय बी०वी०एस०सी० तथा 2 वर्षीय एम०वी०एस०सी० पाठ्यक्रमों की शुरुआत हुई।

वर्ष 1964 में यू०पी० लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट एक्ट, यू०जी० गौशाला एक्ट, पारित किये गये एवं इसके अतिरिक्त यू०पी०काउन्सिलेटर नियम बनाये गये।

उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित पशु पालन निदेशालय में सर्वप्रथम निदेशक की सहायता हेतु निदेशक, अपर निदेशक, मुख्यालय लघु पशु (केविलेज स्कीम) (रिन्डरपेस्ट) बनाये गये इसके अतिरिक्त निम्न अनुभाग, पशुपालन अनुभाग, सामान्य अनुभाग, आडिट एवं लेखा, स्थापना योजना, सांख्यिकी, पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र स्थापित किये गये, पशुधन विकास के अन्तर्गत नस्ल सुधार को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कालसी फार्म देहरादून तथा चकगंजरिया फार्म (लखनऊ) पर यह योजना चलायी गई एवं बुल रियरिंग फार्म (मथुरा) तथा आटा (जालौन) निदेशक के नियंत्रण में स्थापित किये गये और ग्रामीण जनपदों को लाभ देने के लिए राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग के अन्तर्गत 14 प्रक्षेत्रों पर काम किया गया, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य में पशुपालन विभाग केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र पशुलोक ऋषिकेश एवं राजकीय पशुधन एवं दुग्धशाला प्रक्षेत्र कालसी देहरादून स्थापित हुए।

पशुधन विकास की गति को बेहतर बनाने के लिए प्रशासनिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु प्रदेश को 9 सक्रिलों में बांटा गया, प्रत्येक सक्रिल में अपर निदेशक, पशुपालन विभाग की नियुक्ति कर उनके कार्यालय की स्थापना की गई, उत्तराखण्ड राज्य में 2 सक्रिल (मण्डल) निम्नवत कार्यरत है।

- 1— अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2— अपर निदेशक पशुपालन विभाग, कुमायूँ मण्डल नैनीताल।

पशुपालन विभाग के कार्यों को समुचित गति देने के लिए जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद में जिला पशुधन अधिकारी परिवर्तित पदनाम मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के पदों का सृजन किया गया। उत्तराखण्ड राज्य के पृथक होने से वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में 13 मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं, जिनमें से 7 गढ़वाल मण्डल एवं 6 कुमायूँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत है।

उत्तराखण्ड राज्य में पशुपालन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न बोर्ड एवं कार्यालय, पशु चिकित्सालय, पशु सेवा केन्द्र, भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र, मेढा केन्द्र, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र आदि के माध्यम से पशुपालकों को सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है, अपर निदेशक पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल की स्थापना वर्ष 1973 में हुई है।

मैनुअल- 1

संगठन की विशिष्टियां
कृत्य
एवं कर्तव्य

1- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग गढ़वाल मण्डल पौड़ी की प्रस्तावना/सूचनाएं :-

पशुपालन के विकास सम्बन्धित कार्यों को त्वरित गति देने के लिए उत्तराखण्ड को दो मण्डलों में विभाजित किया, शासनादेश संख्या 1-1(1) 69प.पा.(1)-8 दिनांक 8.8.1973 के द्वारा अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल की स्थापना की गई। अपर निदेशक, पशुपालन विभाग गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत जनपद पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी एवं टिहरी कुमायूं मण्डल से तथा जनपद देहरादून पशुपालन विभाग मेरठ मण्डल मेरठ के नियंत्रणाधीन से स्थानान्तरित किये, इससे पूर्व इन जिलों में पशुपालन सम्बन्धित कार्यों का सुपरविजन पर्यवेक्षण आदि कार्य उक्त मण्डलों के माध्यम से होता था, जनपद रुद्रप्रयाग का नव सृजन एवं उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना होने पर जनपद हरिद्वार का पशुपालन विभाग सहारनपुर मण्डल से स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप वर्तमान में अपर निदेशक पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल के अधीनस्थ जनपद देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार आदि 7 जनपद आच्छादित है।

मण्डल के अन्तर्गत चारा विकास कार्यक्रमों को गति देने के लिए उप निदेशालय में चारा विकास कार्यक्रम की सघनीकरण योजना के तहत चारा विकास अधिकारी के पद का सृजन किया गया तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट की योजनाओं के सम्पादन हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की योजनाओं का सुदृढीकरण, लेखा सम्बन्धी का सुदृढीकरण सांख्यिकीय सेल आदि की स्थापना की गई।

इसी प्रकार कुक्कुट विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1984-85 में सघन कुक्कुट विकास प्रायोजनाओं की स्थापना की गई, जिनके माध्यम से चूजा वितरण, कुक्कुट इकाईयों एवं प्रक्षेत्रों की स्थापना करवाना, इच्छुक कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षण देना आदि तथा कुक्कुट बीमारियों की रोकथाम हेतु मण्डल के अन्तर्गत कोटद्वार में कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला व पशुओं की बीमारी एवं रोकथाम हेतु मण्डल मुख्यालय पर मण्डलीय प्रयोगशाला की स्थापना की गई इनका उद्देश्य मण्डल के अन्तर्गत पशुओं एवं कुक्कुट पक्षियों की बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण करना है।

1.2- उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना 9.11.2000 को 27 वें राज्य के रूप में उदय हुआ, उत्तराखण्ड एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 53483 वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या 10086292 है, उत्तराखण्ड कृषि प्रधान राज्य होने के कारण कृषि को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन भी अति आवश्यक है, पशुपालन व्यवसाय से कृषकों को जीवोपार्जन के अतिरिक्त साधन भी उपलब्ध होते हैं, वर्ष 2012 में की गई 19 वीं पशुगणना के आधार पर गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत जनपदवार पशुगणना का विवरण निम्नवत् है।

2- जनपदवार पशुगणना-

क्र. सं.	जनपद का नाम	गौवंशीय	महिषवंशीय	भेड़	बकरी	याक	घोड़े/ टट्टू	गधा	खच्चर	सूअर	योग
1-	देहरादून	180907	52845	11721	136729	0	2045	558	1589	4452	390846
2-	पौड़ी	303712	38720	25523	179705	0	817	230	1825	686	551218
3-	टिहरी	100186	91350	43323	125899	0	1337	77	3216	609	365997
4-	उत्तरकाशी	110733	30903	93883	120792	22	1895	118	5885	253	364484
5-	चमोली	158309	43191	102353	81612	08	959	31	3140	348	389951
6-	रुद्रप्रयाग	93967	32659	15453	37164	0	399	47	2606	56	182351
7-	हरिद्वार	152520	237205	5571	24398	0	1926	53	62	9205	430940
	योग:-	1100334	526873	297827	706299	30	9378	1114	18323	15609	2675787

2.1 **उद्देश्य** - पशुपालन विभाग का मुख्य उद्देश्य पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, पशुओं की नश्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, उन्नत नश्ल के सीमन के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य को बढ़ावा देना, नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों के द्वारा उन्नत नश्ल के गाय/भैसा साण्डों के द्वारा स्थानीय पशुओं में अच्छी नश्ल के पशुओं को बढ़ावा देना, कुक्कुट पक्षियों का वितरण, कुक्कुट इकाईयों की स्थापना करना, इच्छुक कृषकों को भेड़ पालन, मुर्गीपालन आदि का प्रशिक्षण देना। पशुओं में दुग्ध की मात्रा बढ़ाने हेतु चारा विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने हेतु चारा बीजो का वितरण, उत्तराखण्ड का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन होने के कारण भेड़ों से अच्छी ऊन उत्पादन हेतु भेड़ों की नश्ल सुधार हेतु उन्नत नश्ल के मेढ़ों को क्षेत्र में वितरण करने से लाभार्थियों को उन्नत ऊन उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करना भेड़ों में बीमारी आदि के बचाव हेतु सामूहिक दवापान एवं दवास्नान आदि कार्य का सम्पादन किया जाता है।

वर्तमान में गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत पशुपालन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए निम्न संस्थाएं कार्यरत है -

1-	अपर निदेशालय का अधिष्ठान -	01
2-	मण्डलीय प्रयोगशाला एवं प्रयोगशालायें-	03
3-	कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला-	01
4-	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का अधिष्ठान-	07
5-	सघन कुक्कुट विकास प्रायोजना -	05
6-	पशु चिकित्सालय -	184
7-	सचल पशु चिकित्सालय -	07
8-	पशु सेवा केन्द्र	415
9-	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र -	294
10-	"द" श्रेणी पशु चिकित्सालय -	05
11-	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र -	08
12-	अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र -	02
13-	अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र -	01
14-	भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र -	83
15-	ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केन्द्र -	01
16-	ऊन शियरिंग ग्रेडिंग चिकित्सा सेवा केन्द्र -	09

2.2— संगठन का मिशन — मण्डल के अन्तर्गत गाय, भैस, भेड़, बकरी में उन्नत नस्ल विकसित कर पशुपालकों के जीवनस्तर को सुधारना एवं रोजगार के साधन के रूप में विकसित करना है।

2.3— संगठन के कर्तव्य — पशुपालन विभाग द्वारा विभागीय कार्यक्रमों का अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, सर्वेक्षण कर आवश्यक मार्ग दर्शन करना तथा पशुपालकों को पशुपालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना तथा पशुओं की नस्ल सुधार करने हेतु कार्य करना साथ ही मण्डल के अन्तर्गत पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक जांच कर रोग निदान हेतु मार्ग निर्देश करना है।

2.4— संगठन के मुख्य कृत्य— उत्तराखण्ड में पशुपालन व्यवसाय मुख्य व्यवसाय के रूप में परम्परागत रूप से किया जाता है, विभाग का मुख्य कृत्य पशु पालकों के पशुओं में नस्ल सुधार करना, दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि करना व पशुओं के रोगों के निदान की नई तकनीकों की जानकारी प्रदान करना है। इसके साथ-साथ पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने हेतु चारा बीज वितरण करना है।

2.5— संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण — पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को पशुचिकित्सा, टीकाकरण, दवापान, दवास्नान, बधियाकरण आदि सुविधायें प्रदान करना, विभागीय संस्थाओं के माध्यम से पशुपालकों को उन्नत नस्ल के गाय/भैसों सांड एवं राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों से भेड़ पालकों को विदेशी/क्रासब्रीड मेंटों का अशंदान पर वितरित करना, बहुददेशीय सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रवास मार्गों पर उक्त सुविधा उपलब्ध कराना तथा ऊन शियरिंग, ग्रेडिंग केन्द्रों द्वारा शियरिंग तथा विभागीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, सचल पशु चिकित्सालयों के द्वारा उचित विभागीय सुविधाएं अनुमन्य कराना है।

2.6— संगठन का संक्षिप्त इतिहास और उसके गठन का प्रसंग—पशुपालन विभाग का मुख्य उद्देश्य पशुचिकित्सा, नस्ल सुधार कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं ऊन उत्पादन कराना है। उन्नत नस्ल को बढ़ावा देकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है, ताकि पशुपालकों का जीवन स्तर में सुधार हो सके। उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड के माध्यम से एवं विभागीय संस्थाओं के माध्यम से उन्नत नस्ल के साण्डों का वितरण एवं उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड के माध्यम से उन्नत नस्ल के मेंटों का वितरण कर पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिये चिकित्सा, टीकाकरण, बधियाकरण, दवापान, दवास्नान आदि सुविधायें प्रदान करना है।

2.7— संगठनात्मक ढांचा :- अपर निदेशालय अधिष्ठान —

- 01— अपर निदेशक
- 02— परियोजना निदेशक, लघु पशु विकास
- 03— पशु चिकित्साधिकारी, ग्रेड-2 मण्डलीय प्रयोगशाला, पौड़ी
- 04— चारा विकास अधिकारी
- 05— सहायक लेखाधिकारी
- 06— मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
- 07— वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
- 08— प्रशासनिक अधिकारी
- 09— लेखाकार
- 10— सहायक लेखाकार
- 11— प्रधान सहायक
- 12— वरिष्ठ सहायक
- 13— कनिष्ठ सहायक
- 14— संख्याधिकारी
- 15— अपर सांख्यिकीय अधिकारी
- 16— सहायक सांख्यिकीय अधिकारी
- 17— वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2
- 18— आशुलिपिक ग्रेड-1
- 19— चालक
- 20— दफ्तरी/अर्दली/पत्रवाहक/चौकीदार

2.8— विभागीय कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएँ :-

- 1— पशुओं में रोगों की रोकथाम हेतु समय-2 पर टीकाकरण, चिकित्सा, दवापान, दवास्नान कराना।
- 2— बीमार पशुओं का समय पर उपचार करना।
- 3— समय-समय पर वाह्य/अन्तः पारजीवी हेतु दवापान एवं दवास्नान।
- 4— नस्ल सुधार हेतु अच्छी नस्ल के सांडो एवं मेंढों से प्रजनन कराना।
- 5— ऊन की गुणवत्ता हेतु मशीन से ऊन कतरना।
- 6— ऊन की अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिये ऊन की ग्रेडिंग कराना।
- 7— ऊन का उचित स्थान पर भण्डारण करवाने हेतु ऊन श्रेणीकरण केन्द्र की स्थापना कराना।

2.9— जन सहयोग करने के लिए विधि व्यवस्था—

पशुपालन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर जन सहयोग प्राप्त करना।

2.10— जन सेवाओं के अनुश्रवण—

मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अनुश्रवण एवं शिकायतों का निराकरण किया जाता है।

2.11— मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते।

- 1— अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 2— मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (जनपद स्तर पर)।
- 3— पशु चिकित्साधिकारी (कुक्कुट) ग्रेड-2 जनपद स्तर पर।
- 4— पशु चिकित्साधिकारी (विकासखण्ड स्तर पर)।
- 5— क्षेत्र प्रसार अधिकारी (न्याय पंचायत स्तर पर)।
- 6— पशुधन प्रसार अधिकारी (न्यायपंचायत स्तर पर)।
- 7— मुख्य प्रसार अधिकारी (जनपद स्तर पर)।

2.12— कार्यालय खुलने एवं बन्द होने का समय —

प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक ।

2.13— पशु चिकित्सालय के खुलने एवं बन्द होने का समय —

ग्रीष्म काल	प्रातः 08.00 बजे से अपराह्न 2.30 तक ।
शीत काल	प्रातः 09.00 बजे से अपराह्न 3.30 तक ।

मैनुअल – 2

अधिकारियों / कर्मचारियों की
शक्तियां एवं कर्तव्य

अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य:

क्र० स०	पदनाम	प्रशासकीय	वित्तीय	कर्तव्य
1	2	3	4	5
1	अपर निदेशक	मंडल के अन्तर्गत समस्त संस्थाओं का प्रशासनिक नियंत्रण वेतनमान 5200-20200+2800 (29200-64700 लेवल-5) तक नियुक्ति प्राधिकार समूह ख के अधिकारियों का 30 दिन तक अर्जित अवकाश स्वीकृत करना, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं अन्य से समूह ख के अधिकारियों को लघु प्रशस्ति, प्रताडना, एवं चेतावनी देना, समूह ख एवं अपने अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्मिकों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि अंकित करना। वेतनमान 5200-20200+2800 (29200-64700 लेवल-5) तक के कर्मचारियों को लघु एवं दीर्घ दण्ड देना, अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वार्षिक वार्षिक वेतन वृद्धि अर्जित एवं चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करना। वेतनमान 5200-20200+2800 (29200-64700 लेवल-5) तक कर्मचारियों की प्रोन्नति का पूर्ण अधिकार।	मंडलीय कार्यालय, अपर निदेशक, सघन भेड विकास प्रायोजना, पौडी के आहरण वितरण का अधिकार, समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के यात्रा भत्ता विलों का प्रतिहस्ताक्षर करना, रू0 10,000.00 तक के निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति एवं पशु क्रय एवं प्रदर्शनी हेतु रू0 10,000.00 तक अग्रिम आहरण का अधिकार, पशुधन प्रक्षेत्रों पशुओं के विचयन एव नीलामी रू0 5000.00 मूल्य तक अधिकार, प्रक्षेत्रों पर वसूल न होने वाली हानि रू0 500.00 तक को बट्टे खाते की स्वीकृति।	मंडल के अन्तर्गत वेतनमान रू0 5200-20200+2800 (29200-64700 लेवल-5) तक कर्मचारियों के समयमान वेतनमान प्रस्तावों का अनुमोदन करना , अधीनस्थ संस्थाओं का निरीक्षण , मंडल के अन्तर्गत श्रेणी ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों के स्थानान्तरण करना, समूह "ग" के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से स्थाई अग्रिम की स्वीकृति प्रदान करना, उच्च अधिकारियों द्वारा सौपी गयी जांच पर जांच आख्या प्रेषित करना, मंडल के अन्तर्गत जनपदों के मासिक प्रगति प्रतिवेदनों को संकलित कर उच्च अधिकारियों को प्रेषित करना, उच्च अधिकारियों द्वारा आहुत बैठकों में भाग लेना , तथा अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक आहुत कर विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा करना , तथा प्रगति हेतु सुझाव एवं मार्ग निर्देश देना, समूह "ख" के अधिकारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों एवं अनापत्ति प्रार्थना पत्रों एवं अन्य प्रत्यावेदनों को उच्च स्तर पर अग्रसारित करना , मंडल के अधीनस्थ संस्थाओं के अनुपयोगी सामाग्री एवं पशुधन की नीलामी एवं अपलेखन की स्वीकृति प्रदान करना ।
2	प्रायोजना निदेशक, लघु पशु	-	-	गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत भेड/बकरी विकास सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन जनपद स्तरीय अधिकारियों को मार्ग निर्देशन, भेड एवं ऊन प्रसार केन्द्र व भेड प्रजनन प्रक्षेत्र का निरीक्षण एवं सुपरविजन।
3	सयुक्त निदेशक, रोग निदान प्रयो0 (भेड)	-	-	भेड/बकरियों में फैली बीमारियों का नियंत्रण करना जिस क्षेत्र में बीमारी की सूचना मिलती है बीमारी के परीक्षण हेतु उचित उपाय करना।
4	पशु चि0अ0, (भेड प्रयो0)	-	-	रोग निदान अधिकारी (भेड) का सहयोग करना एवं उनके मार्ग निर्देश पर कार्य करना।
5	सहायक लेखाधिकारी	-	-	लेखा सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन ।

क्र० स०	पदनाम	प्रशासकीय	वित्तीय	कर्तव्य
1	2	3	4	5
6	मुख्य प्रशासक अधिकारी			कार्यालय कार्यों का सुपरविजन, एवं अधीनस्थ सहायको का मार्ग निर्देशन।
7	वरिष्ठ प्र० अधिकारी	—	—	कोर्ट केश, सूचना अधिकार
8	प्रशासनिक अधिकारी	—	—	स्थापना सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन।
9	लेखाकार	—	—	लेखा सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन
10	प्रधान सहायक	—	—	स्थापना सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन।
11	वरिष्ठ सहायक	—	—	लेखा, आडिट, शिविर, पशुधन, बैटक, निरीक्षण, आदि कार्यों का कार्य विभाजन के अनुरूप सम्पादन, अन्य कार्य अपर निदेशक के निर्देशानुसार सम्पादित करना आदि।
12	कनिष्ठ सहायक	—	—	प्रेषण पटल सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन
13	वाहन चालक	—	—	वाहन चलाना व वाहन का रख रखाव एवं अन्य अपर निदेशक निर्देशानुसार कार्य
14	अनुसेवक	—	—	कार्यालय कार्यों में सहयोग।
15	सहायक संख्याधिकारी	—	—	अपर सांख्यिकीय अधिकारी को सहयोग एवं उनके निर्देशानुसार कार्य व मण्डल के अन्तर्गत सहायक संख्याधिकारी के पद रिक्त जनपदों में रिक्त पद होने पर जनपदों का सर्वेक्षण कार्य सम्पादन।
16	चारा विकास अधिकारी	—	—	मण्डल के अन्तर्गत चारा सम्बन्धित कार्यक्रम का सम्पादन एवं अधीनस्थ अधिकारियों को चारा सम्बन्धित कार्यक्रम का मार्ग दर्शन करना
17	आशुलिपिक	—	—	निरीक्षण, वार्षिक चरित्र प्रविष्टियां।
18	संख्याधिकारी /अपर सांख्यिकीय अधिकारी	—	—	सर्वेक्षण कार्य, सर्वेक्षण हेतु प्रशिक्षण देना, आकड़ों का संकलन, सर्वेक्षण की जांच कर उच्च स्तर पर भेजना, भरी अनुसूचियों की शत-प्रतिशत जांच कर एवं त्रुटियों के निराकरण हेतु पत्र व्यवहार करना, सारणीकरण एवं विश्लेषण करना, अनुमानों को निकालकर अंतिम रूप देना व सर्वेक्षण के आलेख प्रतिवेदन तैयार करना आदि।

मण्डल स्तर पर मण्डल मुख्यालय पौड़ी में मण्डलीय प्रयोगशाला एवं कोटद्वार में कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला स्वीकृत है, जिनमें निम्न पद सृजित है, सृजित पदों पदधारकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	पदनाम	प्रशासकीय	वित्तीय	कर्तव्य
1-	सयुक्त निदेशक रोग निदान प्रयोगशाला	-	-	कुक्कुट पक्षियों में फैली बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण करना जिस क्षेत्र में बीमारी की सूचना मिलती है बीमारी के परीक्षण हेतु उचित उपाय करना।
2-	पशु चिकित्साधिकारी (कु० प्रयोगशाला)	-	-	कुक्कुट रोग निदान अधिकारी का सहयोग एवं उनके मार्ग निर्देश पर कार्य करना।
3-	पशु चिकित्साधिकारी मण्डलीय प्रयोगशाला	-	-	मण्डल के अन्तर्गत जहां भी पशुओं की बीमारी की सूचना मिलती है पशुओं के सीरम,मैग्नी आदि संकलित कर प्रयोगशाला में जांच करना एवं अन्य कार्य उच्च स्तर के निर्देशानुसार सम्पादित करना।
4-	प्रयोगशाला सहायक	-	-	पशु चिकित्साधिकारी का सहयोग एवं उनके निर्देशानुसार कार्य।
5-	प्रयोगशाला परिचर	-	-	पशु चिकित्साधिकारी, प्रयोगशाला सहायक को सहयोग देना।

उक्त तालिका में क्र०सं०-01 एवं 02 पर अंकित पद मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पौड़ी के नियंत्रणाधीन कर दिये गये है।

विभागीय कार्यक्रमों के संचालन हेतु जनपद स्तर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुख्य तकनीकी अधिकारी (कुक्कुट) पशु चिकित्साधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, वेटनरी फार्मोसिस्ट, चारा पर्यवेक्षण अन्वेषक कम संगणक, लिपिक,वाहन चालक अनुसेवक आदि पद सृजित है सृजित पदों के पदधारकों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नवत् है ।

1- **मुख्य पशु चिकित्साधिकारी** – जनपद मुख्यालय पर प्रत्येक जनपद में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यरत है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जनपद में संचालित की जा रही विभिन्न विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु उत्तरदायी है उनके द्वारा जनपद में कार्यरत अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना एवं आहरण वितरण का वित्तीय अधिकार है, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु शासन द्वारा आवंटित बजट का समय पर उपयोग करने का भी उत्तरदायित्व मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का है, इसके अतिरिक्त विभागीय संस्थाओं का सामयिक निरीक्षण एवं अभिलेखों का उचित रख रखाव करवाना है।

2- **मुख्य तकनीकी अधिकारी (कुक्कुट)** – जनपद हरिद्वार एवं रुद्रप्रयाग को छोड़कर अन्य जनपदों में मुख्य तकनीकी अधिकारी (कुक्कुट) के पद सृजित है, जिनके अधीनस्थ पशुधन प्रसार अधिकारी (कु०) के पद सृजित है, इन कार्मिकों का कर्तव्य जनपदों में कुक्कुट पालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करना, कुक्कुट इकाईयों एवं प्रक्षेत्रों की स्थापना करवाना, इच्छुक कुक्कुट पालकों को कुक्कुट प्रशिक्षण का आयोजन कर कुक्कुट प्रशिक्षण देना एवं क्षेत्र में चूजा वितरण, कुक्कुट रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण करना है।

3- पशु चिकित्साधिकारी— पशु चिकित्साधिकारी का कार्य पशुनस्ल सुधार कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना, पशु चिकित्सालय क्षेत्रान्तर्गत संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन अनुश्रवण करना, क्षेत्रान्तर्गत फैलने वाले रोगों के रोकथाम हेतु टीकाकरण करना साथ-साथ पशु चिकित्सालय के क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्रण रखना है, पशु चिकित्साधिकारी का दायित्व क्षेत्र में क्रय किये जाने वाले पशुओं की जांच कर स्वस्थता प्रमाण पत्र देना, पशु बधशालाओं में बध किये जाने वाले पशुओं की स्वस्थता की जांच करना एवं अधीनस्थ पशु सेवा केन्द्रों के भण्डार का वार्षिक सत्यापन करना व रख-रखाव का निर्देशन करना।

4- पशुधन प्रसार अधिकारी — पशुधन प्रसार अधिकारी का मुख्य कर्तव्य क्षेत्रान्तर्गत पशुनस्ल सुधार कार्य पशु चिकित्साधिकारी के परामर्श से प्राथमिक पशु चिकित्सा, टीकाकरण, बधियाकरण, चारा बीज वितरण, विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर पशुपालकों को जानकारी देना तथा संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में प्रेरित करना क्षेत्र में फैलने वाली संक्रामक बीमारी की रोकथाम हेतु टीकाकरण करना व गम्भीर बीमारी फैली हो तो सूचना उच्च अधिकारियों को देना, पशु सेवा केन्द्र पर रखे जाने वाले अभिलेखों का उचित रख-रखाव करना है।

5- पशु चिकित्सा फार्मोसिस्ट — पशु चिकित्सा फार्मोसिस्ट का मुख्य कर्तव्य पशु चिकित्सालय पर रखे अभिलेखों का उचित रख-रखाव करना, पशु चिकित्साधिकारी द्वारा बताये नुखसे के अनुसार पशुपालकों के बीमार पशु के उपचार हेतु दवा वितरण एवं बीमार पशुओं की ड्रेसिंग करना है।

6- पशु ड्रेसर— पशु चिकित्सालय में आने वाले पशुओं की ड्रेसिंग एवं बीमार पशु के उपचार में पशु चिकित्साधिकारी की सहायता करना।

7- चारा पर्यवेक्षक/सहायक चारा विकास अधिकारी/चारा विकास अधिकारी — चारा विकास के अन्तर्गत चारा बीज वितरण, चारा प्रदर्शन कराना, उन्नत प्रजाति के घास की जड़ों का वितरण करना व चारा विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं पशु चिकित्साधिकारी को उचित सहयोग देना तथा जनपद के विभिन्न पशु चिकित्सालयों में चारा प्रदर्शन कराकर पशु पालकों को चारा विकास कार्यक्रम अपनाने के प्रति प्रेरित करना।

8- संख्याधिकारी/अपर/सहायक संख्याधिकारी — जनपद स्तर पर विभिन्न योजनाओं सम्बन्धित आंकड़ों का संकलन करना, पशु गणना सम्बन्धित आंकड़ों को संकलित करना तथा उच्च स्तर को प्रेषित करना।

10- लिपिक वर्गीय कर्मचारी — जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के कार्यालय में प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों के सम्पादन हेतु लिपिकीय वर्ग के पद सृजित किये गये हैं, जिनके द्वारा लेखा, पशुधन, स्थापना एवं सामान्य पत्राचार आदि कार्य सम्पादित करना तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा विभाजित कार्य का सम्पादन करना है एवं उनके निर्देशों का अनुपालन करना।

11- वाहन चालक — वाहन चलाना तथा वाहन का रख रखाव करना।

12- अनुसेवक — पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्साधिकारी के निर्देशानुसार पशु चिकित्सालय में आने वाले बीमार पशु की देख-रेख करना व व्यवस्था में सहयोग देना। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के कार्यालय में कार्यालय कार्यों में सहयोग देना।

मैनुअल – 3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

3.1— पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग की स्थापना जनपदों में श्वेत क्रान्ति एवं पालतू पशुओं के विकास की दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये की गयी है। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन पशुपालन विभाग, निदेशक पशुपालन विभाग के नियंत्रणाधीन था, वर्तमान उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना हो जाने के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण विभाग है। वर्तमान में विभाग राज्य स्तर पर निदेशक, मण्डल स्तर पर अपर निदेशक, जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, विकास खण्ड स्तर पर पशु चिकित्साधिकारी एवं न्याय पंचायत स्तर पर पशुधन प्रसार अधिकारी कार्यरत है।

मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत संस्थाओं का विवरण:—

क्र०सं०	कार्यरत संस्थायें	संख्या
1	2	3
1—	पशु चिकित्सालय	184
2—	पशु सेवा केन्द्र	415
3—	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उप केन्द्र	294
4—	“द” श्रेणी पशु औषधालय	05
5—	सचल पशु चिकित्सालय	07
6—	भेड़ ऊन प्रसार केन्द्र	83
7—	सघन कुक्कुट विकास प्रायोजना	05
8—	प्रयोगशालायें—	03

मैनुअल-4

कृत्यो के निर्वहन के लिए स्वयम्
द्वारा स्थापित मापदण्ड

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयम् स्थापित मापदण्ड –

4.1 विभागीय कार्यक्रमों के निर्वहन हेतु मण्डल के अन्तर्गत समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को जनपदवार लक्ष्यों का आवंटन किया जाता है, जिसकी मासिक प्रगति प्राप्त कर मण्डल स्तर पर संकलित की जाती है, तथा मदवार समीक्षाकर न्यूनतम प्रगति वाले कार्यक्रमों की ओर अपेक्षित प्रगति प्राप्त करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं। वर्ष 2018-19 के लक्ष्य पूर्ति का विवरण निम्नवत है।

क्र०सं०	मद का नाम	लक्ष्य	पूर्ति
1	2	3	4
1-	पशु चिकित्सा –	1655000	1631551
2-	बधियाकरण –	80000	74385
3-	टीकाकरण –	2050000	3159072
4-	बड़े पशुओं में दवापान –	90000	114269
5-	आयोजित बांझपन निवारण शिविर –	800	944
6-	चिकित्सा किये गये बांझ पशुओं की संख्या –	82000	56557
7-	लाभान्वित दुग्ध समितियों की संख्या –	0	818
8-	दुग्ध समितियों के मार्गों पर लाभान्वित पशुओं की संख्या –	55000	29298
9-	प्राकृतिक गर्भाधान –	11800	6479
10-	उत्पन्न संतति –	6150	3322
11-	नये पशु सेवा केन्द्र के भवन निर्माण –	0	
12-	नये पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण –	0	1
13-	कृत्रिम गर्भाधान–	202100	140625
14-	उत्पन्न संतति–	60630	67727
15-	भेड़ों में दवापान	520000	521206
16-	भेड़ों में दवास्नान	520000	498983
17-	बकरा साण्ड वितरण	30	50
18-	आयोजित पशु प्रदर्शनियों की संख्या–	43	43
19-	कुक्कुट पालन इकाई–	0	3080
20-	कुक्कुट पक्षी वितरण–	2043000	3206394
21-	चारा बीज वितरण–	0	161.41
22-	चारा मिनिक्विट्स वितरण–	0	3549
23-	बछियापालन इकाई	0	0
24-	आयोजित गोष्ठियों की संख्या–	38	38
25-	अहिल्याबाई होल्कर योजना	0	0
26	बकरीपालन	188	188
27	भेड़ पालन	95	95
28	गौपालन	366	366

2- विभागीय कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रगति प्राप्त करने हेतु मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न समस्याओं का निरीक्षण कर अधीनस्थ कार्मिकों का मार्ग निर्देशन करना जनपद स्तर पर आयोजित शिविर,गोष्ठी,एवं चारा प्रदर्शन आदि में भाग लेकर सुझाव देना विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठकें आहुत करना, कार्यालय सहायकों के सहयोग से नीतिगत प्रकरणों पर निर्णय लेना।

मैनुअल – 5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख ।

5- अधिनियम/नियम/अन्य सूची -

- 1- The Prevention Of Cruelty to Animals Act
- 2- Civil Veterinary Manual
- 3- Drug and Cosmetics Act
- 4- उत्तराखण्ड गौशाला अधिनियम ।
- 5- U.P. Prevention of cow slaughter Act
- 6- The cattle Trespass Act 1872.
- 7- Rules Under The glanders and farcy Act.
- 8- भोटिया ग्रेजिंग रूल्स ।
- 9- उत्तर प्रदेश गौशाला रूल्स 1964 उत्तराखण्ड (उ0प्र0 गौशाला नियमावली 1964)
अनुकूल एवं रूपारान्तरण आदेश 2002;
- 10- उत्तर प्रदेश गौबध निवारण नियमावली 1964;
- 11- उत्तर प्रदेश गौबध निवारण संशोधित - 2001;
- 12- उत्तर प्रदेश वेटनरी स्टेट कांन्सिल रूल्स 1991;
- 13- उत्तरांचल राज्य पशु प्रजनन नीति नियम 2005;
- 14- प्रीवेंशन आफ क्रूएल्टी एण्ड एनीमल रूल्स 1965 ;
- 15- एक्सपोर्ट आफ लाइव स्टाक एण्ड लाइव स्टाक प्रोडक्ट ;
- 16- International Conventional for Trasport of Animal meat and other products,
- 17- विभागीय अधिकारियों के प्रतिनिहित वित्तीय अधिकारों का संकलन ।
- 18- शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का संकलन।
- 19- प्रक्षेत्रों को हानि से बचाने के लिये आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी पशुओं के निस्तारण के सम्बन्ध में कार्यवाही ।

नोट :- उपरोक्त नियम/अधिनियम की प्रतियों के बांडिंग सेट कार्यालय में उपलब्ध है ।

मैनुअल – 6

ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा
धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं,
प्रवर्गों का विवरण ।

अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अधिष्ठान में निम्नलिखित कर्मचारी कार्यरत है।

- 01— अपर निदेशक
- 02— परियोजना निदेशक, लघु पशु विकास
- 03— चारा विकास अधिकारी
- 04— सहायक लेखाधिकारी
- 05— मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
- 06— वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
- 07— प्रशासनिक अधिकारी
- 08— लेखाकार
- 09— सहायक लेखाकार
- 10— प्रधान सहायक
- 11— वरिष्ठ सहायक
- 12— कनिष्ठ सहायक
- 13— संख्याधिकारी
- 14— अपर सांख्यिकीय अधिकारी
- 15— सहायक सांख्यिकीय अधिकारी
- 16— वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2
- 17— आशुलिपिक ग्रेड-1
- 18— चालक
- 19— दफ्तरी / अर्दली / पत्रवाहक / चौकीदार

दस्तावेज प्राधिकारी या उनके नियंत्रण में दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण।

क्र० सं०	प्रवर्ग	दस्तावेजों का नाम / परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1-	लेखा	<ol style="list-style-type: none"> 1- बजट आवंटन सम्बन्धी पत्रावली 2- बजट अनुमान पत्रावली 3- बचत एवं व्ययधिक्य पत्रावली 4- शासनादेश एवं सर्कुलर 5- भौतिक सत्यापन पत्रावली 6- विभागीय आडिट पत्रावली 7- महालेखाकार आडिट पत्रावली 8- विविध पत्रों की पत्रावली 9- बजट पंजिका 10- कन्टिजेन्सी पंजिका 11- टी०ए० चैक पंजिका 12- यात्रा स्वीकृत पंजिका 13- यात्रा भत्ता 14- सामान्य भविष्य निधि पंजीका 15- सामान्य भविष्य निधि पत्रावली 16- यात्रा भत्ता बिल पंजीका 17- वेतन बिल पंजीका 18- मासिक आय-व्यय विवरण 19- व्यय विवरण पत्रावली 20- वी०एम० 8 21- व्यय मिलान पत्रावली 	2.00 रु० प्रति पृष्ठ	लेखाकक्ष / अपर निदेशक

क्र० सं०	प्रवर्ग	दस्तावेजों का नाम / परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
2-	कैश	1- 11-सी० पंजीका 2- ट्रेजरी गार्ड पंजीका 3- नगद/चैक भुगतान 4- कैश बुक 5- ट्रेजरी प्राप्त चैक पंजीका 6- बैंक ड्राफ्ट प्रेषण पंजीका 7- बैंक ड्राफ्ट प्राप्त पंजीका 8- आय प्राप्त पत्रावाली 9- ट्रेजरी चालान पत्रावली 10- कैश की डुप्लीकेट चाबी 11- कैश रसीद बुक 12- सामान्य पत्राचार पत्रावाली 13- विद्युत पंजीका 14- स्टेशनरी पंजीका 15- डैड स्टॉक पंजीका	2.00 प्रति पृष्ठ	कैशियर/ अपर निदेशक
3-	स्थापना	1- वार्षिक वेतनवृद्धि पंजीका 2- न्यायालय सम्बन्धी पत्रावाली 3- समस्त कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली 4- सामान्य पत्रावली 5- कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी 6- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सम्बन्धी 7- पेंशन सम्बन्धी पत्रावली 8- नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावाली 9- कार्मिक सेवा पुस्तिकाएँ 10- कार्यालय आदेश सम्बन्धी पत्रावाली 11- आकास्मिक अवकाश सम्बन्धी पत्रावाली 12- अर्जित अवकाश सम्बन्धी पत्रावाली 13- कार्मिकों के अनापत्ति एवं अनुमति सम्बन्धी पत्रावाली	2.00 प्रति पृष्ठ	स्थापना/ अपर निदेशक
4-	शिविर	1- संस्थाओं के निरीक्षण सम्बन्धि पत्रावली 2- जांच से सम्बन्धि पत्रावली 3- कार्मिक की चरित्र प्रविष्टियां 4- गाड़ियों के लौग बुक 5- अधिकारियों के भ्रमण सम्बन्धि पत्रावली 6- गाड़ियों के निष्प्रोज्य सम्बन्धि पत्रावली	2.00 प्रति पृष्ठ	शिविर सहा० / अपर निदेशक

क्र० सं०	प्रवर्ग	दस्तावेजों का नाम / परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
5-	पशुधन	1- मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक प्रगति प्रतिवेतदनों से सम्बन्धित पत्रावली 2- पशुओं के विचयन / नीलामी / अपलेखन की स्वीकृति सम्बन्धि पत्रावली 3- भवन निर्माण सम्बन्धि पत्रावली 4- सामान्य पत्रव्यवहार 5- नियोजन सम्बन्धि पत्रावली 6- विभागीय संस्थाओं की सूची 7- विभागीय बैठक का कार्यवृत्त	2.00 प्रति पृष्ठ	पशुधन सहा० / अपर निदेशक
6-	पत्र प्रेषण	1- शासकीय डाक टिकट पंजी 2- पत्र प्रेषण पंजी 3- स्थानीय डाक वितरण पंजी 4- पत्र प्राप्ति पंजी		प्रेक्षण सहा० / अपर निदेशक
7-	सांख्यकीय	1- पशुगणना सम्बन्धित पत्रावली 2- दुग्ध उत्पादन / अण्डा उत्पादन आदि सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसूचि 3- सर्वेक्षण अनुसूचियों का सारजीकरण		संख्याधिकारी / सांख्यकीय सहायक / अपर निदेशक

नोट : मण्डलीय कार्यालय में उक्तानुसार प्रत्येक प्रवर्गों में दस्तावेजों एवं अभिलेखों के रख-रखाव की व्यवस्था है।

मैनुअल – 7

किसी व्यवसाय विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विधमान है।

मण्डल के अन्तर्गत अनुदान राज्य सहायक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के तहत प्रत्येक जनपद स्तर पर नीति –

1- **स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत बछिया पालन योजना** – इस योजना में जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति के इच्छुक पशुपालकों को 75 प्रतिशत धनराशि विभाग द्वारा भागीदारी एवं 25 प्रतिशत धनराशि पशुपालकों के द्वारा जमा कर पालको को उन्नत नस्ल की दुधारु गायें उपलब्ध करायी जाती है।

2- **चारा विकास कार्यक्रम** – चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर पशु पालको को मौसम के अनुसार चारा बीज वितरण 2 कि०ग्रा० प्रति किट के हिसाब चारा मिनी किटो का निःशुल्क वितरण किया जाता है। ग्रास लैण्ड डेवलपमेन्ट योजना का संचालन एवं चारा बैंको का निर्माण कर पशुपालकों को फीड ब्लाक एवं चाटन भेली आदि उपलब्ध करायी जा रही है।

3- **ऐस्केड योजना** – इस योजना में पशुओं के रोगों की रोकथाम हेतु वैक्सीन, दवा आदि का प्राविधान है तथा इसको प्रोत्साहित करने हेतु जनपद स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड में गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, योजना हेतु विकास खण्ड स्तर की गोष्ठी हेतु रू० 1100.00 तथा जनपद स्तरीय गोष्ठी रू० 2500.00 की धनराशि का प्राविधान है जिसमें पशु पालकों को पशुओं में रोगों के रोकथाम समय पर टीकाकरण हेतु सुझाव एवं विभागीय कार्यक्रमों की जानकारी व प्रचार प्रसार किया जाता है तथा स्थानीय पशु पालकों एवं जन प्रतिनिधियों के विचार एवं सुझाव प्राप्त किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत विभागीय कार्मिकों के द्वारा दल के रूप में पशुओं को संक्रामक बीमारी की रोकथाम हेतु टीकाकरण का कार्य किया जाता है।

4- **कृषि प्राविधिकी प्रबधन अभिकरण (आत्मा परियोजना)** योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर पशुपालन सम्बन्धी निम्न क्रिया कलाप प्रस्तावित है।

(क) एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न प्रशिक्षण विभागीय कार्मिकों के द्वारा पशु पालकों को दिया जाता है।

- (1) पशुओं के मलमूत्र/गोबर की जांच एवं कीटनाशक दवाईयों बावत।
- (2) विभिन्न पशु बीमारी के सापेक्ष टीकाकरण की जानकारी।
- (3) गाभिन पशुओं की देख-रेख/जांच।
- (4) खुरपका-मुंहपका रोग नियंत्रण हेतु।
- (5) मिनरल मिक्चर का उपयोग/चारा विकास कार्यक्रम।
- (6) पशु पालक/स्वयम् सहायता समूहों को जनपद से बाहर भ्रमण कार्यक्रम।

प्रचार-प्रसार विभागीय गोष्ठियों एवं मैनुअलों के द्वारा जनता को जागरूक किया जाता है।

5- **आदर्श ग्राम**– इस योजना के अन्तर्गत विकास क्षेत्र स्तर पर ग्रामों का चयन कर विभागीय कार्यक्रमों का सघनीकरण कर पशुपालकों को अधिक से अधिक विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

6- **अहिल्याबाई होल्कर योजना**– इस योजनान्तर्गत विकासखण्ड स्तर पर भेड़/बकरी पालको को लाभान्वित एवं प्रशिक्षित किया जा रहा है।

नवीन चन्द्र शर्मा
सचिव,

पशुपालन, सहकारिता एवं दुग्ध
विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन देहरादून,
अ0शा0पत्र सं0— /पी0एस0/स0प0/05
दिनांक देहरादून : जून 2005

जैसा कि आप अवगत ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार ग्राम-खाण्डूसैण के साधन उपलब्ध कराये जाने हेतु डेयरी/पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फण्ड योजना की घोषणा पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गयी है। यह योजना उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में लागू है, इस योजना के देश के अन्य प्रदेशों में भी 15 अगस्त 2005 से लागू किया जाना प्रस्तावित है।

योजनान्तर्गत योजना की कुल लागत का 10 प्रतिशत लाभार्थी माजीर्न मनी, 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण तथा 50 प्रतिशत सामान्य बैंक क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जानी है। बैंक क्रेडिट नियमित भुगतान किये जाने की दशा में देय ब्याज पर 50 प्रतिशत अनुदान की सुविधा भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाने में यह योजना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। अतः इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने तथा आवेदनकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर परीक्षणोपरान्त ऋण सुविधा उपलब्धकराये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त योजना की मार्गदर्शिका संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि आप इस सम्बन्ध में पशुपालन डेयरी विकास, अग्रणी बैंक प्रबन्धन, नाबार्ड आदि सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाकर निर्धारित लक्ष्यों व रणनीति से अवगत करा दे और योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में उपरोक्तानुसार लाभार्थियों को डेयरी/पोल्ट्री योजनाओं द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराये। कृपया योजना की प्रगति से समय-समय पर अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवनिष्ठ,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

ह0 (नवीन चन्द्र शर्मा)

पृ0सं0 उपरोक्त तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि: —

- 1— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ ।
- 2— समस्त प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक/सहायक निदेशक, दुग्ध विकास/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को इस के साथ प्रेषित कि आप जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी से सम्पर्क कर योजना की निरन्तर समीक्षा करें।
- 3— अपर निदेशक/निदेशक, पशुपालन को समुचित कार्यवाही एवं मार्गदर्शन हेतु।
- 4— समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि आप तत्काल अपने जनपद के मुख्य विकास अधिकारी से सम्पर्क कर बैठक का आयोजन कर अध्यावधिक योजना तैयार कर बैंकों को प्रेषित।
- 5— प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विकास बैंक लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6— समस्त शाखा प्रबन्धक, लीड बैंक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

ह0 (नवीन चन्द्र शर्मा)

संख्या — 233/XV-1/1(32)/2006

प्रेषक,

दयमन्ती दोहरे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
गोपेश्वर-चमोली।

पशु पालन अनुभाग - 1

देहरादून : दिनांक 28 मार्च 2006

विषय : चारा घास एवं चारा घास रिजर्व विकास।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार ने उत्तराखण्ड के 9 जनपदों में चारा विकास हेतु रू0 90.00 (रू0 नब्बे लाख) मात्र की राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित कर चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 हेतु व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायें तथा धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा तथा व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत है।

3- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0 13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का अग्रिम आहरण कर मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का समायोजन यथा समय कराया जना सुनिश्चित किया जाय।

6- उक्त धनराशि का व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक - 8000-आकस्मिकता निधि - राज्य आकस्मिकता निधि-लेखा-201-समेकित निधि के विनियोग तथा अन्तः अनुदान संख्या-28-2403 -पशुपालन आयोजनागत-00-107-चारा विकास-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-चारा घास एवं चारा घास रिजर्व विकास की योजना (100प्र0के0पो0) तथा 42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

ह0 (दयमन्ती दोहरे)

वित्त विभाग :-

रा0आ0नि0संख्या-109/वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-4/2006-तददिनांक-

प्रतिलिपि: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, इलाहाबाद को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आज्ञा से

ह0 (अर्जुन सिंह)
अपर सचिव, वित्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड ।
- 2- समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून ।
- 5- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय देहरादून ।
- 6- प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास शाखा देहरादून ।
- 7- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाँयु मण्डल, नैनीताल ।
- 8- निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु ।
- 9- निजी सचिव, मुख्यमंत्री जी को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु ।
- 10- मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू०एल०डी०बी० देहरादून ।
- 11- वित्त अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग-1 ।
- 12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

ह० (दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव

मैनुअल – 8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भाग, रूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खूली होगी या ऐसे बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

8.1— उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

- सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता :-
उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड, पशुधन भवन, मोथोरावाला रोड़, देहरादून।
- सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य) :-
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति।
- सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय या (स्थापना व उद्देश्य/मुख्य कृत्य) :-
 - स्थापना – जुलाई 2002
 - पंजीकरण संख्या-343 दिनांक 27.06.2001 (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)।

उद्देश्य : -

- पशु प्रजनन एवं पशुधन विकास से सम्बन्धित संस्थागत ढांचा में सुधार, उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि एवं तत्सम्बन्धी नई संस्थाओं की स्थापना कर ऐसे निवेश से लाभ प्राप्त करने में राज्य सरकार को सलाह एवं सहायता करना।
- राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर गाय एवं भैसों हेतु राज्य की पशु प्रजनन नीति के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करके पशु उत्पादन एवं गुणवत्ता में निरन्तर वृद्धि करना।
- गैर सरकारी संस्थाओं (सहकारी समितियों, गोशालाओं, ट्रस्टों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं) आदि को संगठित/प्रोत्साहित करके गुणवत्ता प्रजनन सामग्री का उत्पादन/उपार्जन करना एवं लाभार्थी/कृषकों के द्वार पर ही पशुप्रजनन सेवाएं उपलब्ध कराना।
- अतिहिमीकृत वीर्य एवं तरल नत्रजन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुचारु रूप से सुव्यस्थित कर निरन्तर आपूर्ति करना।
- गाय एवं भैसों को आधुनिक तकनीकों के अनुसार रख-रखाव व पालन-पोषण करके देशी एवं संकर नस्ल के उच्च प्रजाति/गुणवत्ता के सांड नैसर्गिक अभिजनन हेतु तैयार करना।

मुख्य कृत्य : -

सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के पशुधन (गाय एवं भैस) के प्रजनन एवं पशु-प्रबन्धन को नवीनतम तकनीकों द्वारा प्रोत्साहित कर बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को स्वावलम्बी बनाकर पशुधन उत्पादों को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्य भी वित्तीय वर्ष 2004-05 में यू0एल0डी0बी0 को सौंपा गया है, जिसका कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।

- स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य ?

स्वरूप : उत्तराचल सरकार का एक उपक्रम।

वर्तमान सदस्य : —

- 1— प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल शासन (पदेन) अध्यक्ष ।
- 2— श्री मनीष वर्मा, 10 गांधी मार्ग, देहरादून (नामित) अध्यक्ष ।
- 3— अपर सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल शासन (पदेन) ।
- 4— अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल (पदेन) सदस्य ।
- 5— निदेशक, डेयरी विकास विभाग, उत्तरांचल (पदेन) सदस्य ।
- 6— परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० देहरादून (पदेन) सदस्य ।
- 7— अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय (पदेन) सदस्य ।
- 8— आई०वी०आर०आई० मुक्तेश्वर (नैनीताल) के प्रतिनिधि सदस्य ।
- 9— राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधि सदस्य ।
- 10— बायफ, के प्रतिनिधि सदस्य ।
- 11— संयुक्त सचिव (एल०पी० एण्ड एफ) भारत सरकार (कृषि मंत्रालय) पशुपालन सदस्य ।
- 12— प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल सहकारी डेयरी फेडरेशन हल्द्वानी (पदेन) सदस्य ।
- 13— मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू०एल०डी०बी० (पदेन) सदस्य/सचिव ।
- 14— श्री अजयपाल रावत (प्रतिनिधि गौशाला) ।
- 15— श्री रघुवीर सिंह रावत (प्रतिनिधि गौशाला)
- 16— श्री प्रदीप रावत (प्रतिनिधि गौशाला) ।

- मुख्य अधिशासी अधिकारी का नाम —
डा० एम०एस० नयाल

- मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते ?

1. मुख्यालय — पशुधन भवन, मोथरोवाला चौक, देहरादून-248006
2. शाखा कार्यालयी इकाईयों —
 - (क) डी०एफ०एस० श्यामपुर — अतिहिमीकृतवीर्य उत्पादन केन्द्र, ऋषिकेश — हरिद्वार बाई पास मार्ग, ऋषिकेश, श्यामपुर-ऋषिकेश, जनपद-देहरादून ।
 - (ख) प्रशिक्षण केन्द्र — यू०एल०डी०बी० प्रशिक्षण केन्द्र, ऋषिकेश, गंगा बैराज मार्ग, ऋषिकेश, जनपद-देहरादून ।
 - (ग) चारा बैंक — ऋषिकेश जनपद देहरादून ।
 - (घ) ई०टी०स्टेट सेन्टर — भ्रूण प्रत्यारोपण स्टेट सेन्टर, लालकुआं, परिसर, दुग्ध संघ लालकुआं (नैनीताल) ।
 - (ङ) सीमेन बैंक — यू०एल०डी०बी० सीमेन बैंक, नैनीताल दुग्ध संघ के निकट लालकुआं (नैनीताल) ।
 - (च) पशु प्रजनन फार्म — पशु प्रजनन फार्म कालसी, जनपद-देहरादून ।
— विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, भरारीसैण

बैठक की आवृत्ति :-

वार्षिक सामान्य बैठक	-	वर्ष में एक बार ।
साधारण सामान्य बैठक	-	आवश्यकतानुसार ।
अधिशाली कमेटी बैठक	-	त्रैमासिक ।

- क्या बैठक कार्यवृत्त भाग ले सकती है ? नही ।
- क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं ? हाँ ।
- क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ? यदि हाँ तो उसकी प्रक्रिया ?
हाँ, जनसामान्य की मांग पर नियमानुसार ।

8.2— उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड

उद्देश्य उत्तराखण्ड में भेड़ों की मृत्यु दर कम करने हेतु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम संचालन बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण तथा नस्ल सुधार कर भेड़पालकों द्वारा उत्पादित ऊन एवं अन्य उत्पाद का उचित मूल्य दिलाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। नई तकनीकी की जानकारी देकर भेड़ पालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना तथा उनके स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग करना।

परिचय :-

- स्थापना — अक्टूबर 2003
- मुख्यालय — देहरादून
- पंजीकरण संख्या — 1998 दि० 31.10.03 (सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम संख्या 1890 के अन्तर्गत)।

संचालित कार्यक्रम :-

- बोर्ड द्वारा 12 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र 01 अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र 05, अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 ऊन श्रेणीकरण/क्रय-विक्रय केन्द्र तथा 03 सचल बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों को पशुपालन विभाग के सहयोग से संचालित करना।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम भेड़ों में दवापान, दवास्नान, चिकित्सा, निकृष्टि भेड़ों में बधियाकरण तथा भेड़ों का टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करना।
- नस्ल सुधार कार्यक्रम राज्य के प्रगतिशील भेड़पालकों को उनकी भेड़ों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत प्रजनन हेतु भेड़ों का निःशुल्क वितरण।

उत्पादकता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत :-

- भेड़ों को ऊन कतरने से पूर्व नहलाया जाने हेतु भेड़पालकों को शिक्षित/जागरूक करना।
- ऊन ग्रेडिंग कार्यक्रम में भेड़ों से प्राप्त ऊन की प्राथमिक ग्रेडिंग का कार्य प्रारम्भ करना।
- मशीन द्वारा ऊन कतरने/काटने के लिए भेड़पालकों को शिक्षित एवं जागरूक करना।
- उत्पादित होने वाली ऊन के विपणन में भेड़पालकों को अपेक्षित सहायता एवं मार्ग दर्शन देना।
- भेड़पालकों को ग्राम स्तर पर भेड़ों से सम्बन्धित नवीनतम तकनीक की जानकारी देना, भेड़ों के प्रबन्धन/प्रमुख रोग एवं उनका निदान तथा मशीन द्वारा ऊन कतरना आदि विषयों पर भेड़पालकों को प्रशिक्षित/जागरूक/शिक्षित करना।
- भेड़पालकों के स्वयं सहायता समूह गठन तथा गैर राजकीय संस्थाओं के चयन/गठन में सहयोग करना।
- कालसी (देहरादून) मुनिकीरेती (टिहरी), डुण्डा (उत्तरकाशी), मुन्स्यरी (पिथौरागढ़), ग्वालदम (चमोली) में पाँच नये भेड़ बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें संचालित करना।

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग,
संख्या 568 / ए0म0दु0-उ0वि0यो0 / 2003 / 2003
कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड को क्रियान्वित करने हेतु श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के निम्नवत् गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय देहरादून होगा।

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तराखण्ड | पदेन अध्यक्ष |
| 2. | सचिव, पशुपालन उत्तराखण्ड शासन | पदेन उपाध्यक्ष |
| 3. | अपर सचिव पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन | पदेन सचिव / सदस्य |
| 4. | प्रमुख, सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन | पदेन सदस्य |
| 5. | सचिव, उद्योग उत्तराखण्ड शासन | पदेन सदस्य |
| 6. | मुख्य कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड
कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार | पदेन सदस्य |
| 7. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग उत्तराखण्ड | पदेन सदस्य |
| 8. | प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल विकास निगम, उत्तराखण्ड | पदेन सदस्य |
| 9. | प्रबंध निदेशक, कुमायु मण्डल विकास निगम, उत्तराखण्ड | पदेन सदस्य |

(ओम प्रकाश)
सचिव

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा ,
पशुपालन विभाग ,
उत्तराखण्ड शासन ,
संख्या 256 / व0ग्रा0वि0 / प0पा0—यू0एस0डब्लू0डी0बी0 / 773(2) / 2004
देहरादून दिनांक 16 अप्रैल 2004

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं0 658 / ऊ0वि0बो0 / 03 दिनांक 29.10.03 शासनादेश सं0 56 / 11 / प0पा0 / 1050 / यू0एस0डब्लू0डी0बी0 / 2003 दि0 19.01.04 शासनादेश सं0 26 / पशुपालन / 04 दि0 19.02.04 एवं शासनादेश सं0 25 / पशुपालन / 04 दि0 19.02.04 के सन्दर्भ में यू0एस0डब्लू0डी0 की बैठक दिनांक 23.02.04 से हुये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शीप एण्ड बूल डेवलपमेन्ट बोर्ड की गवर्निंग बौडी को निम्नवत् पुर्नगठित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

1. माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार (पदेन) अध्यक्ष
2. श्री कीर्ति सिंह नेगी, नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) कार्यकारी अध्यक्ष
3. डा0एस0पी0एस0 रावत, स्यूंसी (पौड़ी गढ़वाल) उपाध्यक्ष
4. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन (पदेन) सदस्य
5. सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन (पदेन) सदस्य
6. सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन (पदेन) सदस्य
7. सचिव वन पर्यावरण एवं जलागम, उत्तराखण्ड शासन (पदेन) सदस्य
8. कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय विकास बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार (पदेन) अथवा उनके नामित प्रतिनिधि सदस्य
9. अपर सचिव, पशुपालन उत्तराखण्ड शासन (पदेन) सदस्य
10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तराखण्ड(पदेन) सदस्य
11. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून (पदेन) सदस्य
12. प्रबन्ध निदेशक, कुमायू मण्डल विकास निगम, नैनीताल (पदेन) सदस्य
13. निदेशक, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था अंबिकानगर राजस्थान (पदेन) अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य
14. अपर निदेशक, पशुपालन उत्तराखण्ड (पदेन) सदस्य
15. रक्षा कृषि अनुसंधान प्रयोगशाला (डी0ए0आर0एल0) पिथौरागढ़ के प्रतिनिधि (पदेन) सदस्य
16. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0 देहरादून (पदेन) सदस्य
17. निदेशक, हाईफेड, रानीचौरा, टिहरीगढ़वाल (पदेन) सदस्य
18. उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी तथा चम्पावत जनपदों से एक-एक प्रगतिशील जिनका नामांकन अध्यक्ष की सहमति से यू0एस0डब्लू0 डी0बी0 द्वारा किया जायेगा सदस्य / सचिव

13 यू0एस0डब्लू0डी0बी0 की उपरोक्त बैठक दिनांक 23.02.04 के निर्णय सं0 9 के अनुसार राज्यपाल, उत्तराखण्ड शीप एण्ड बूल डेपलेमेट बोर्ड की अधिशासी कमेटी का पुर्नगठन निम्नवत् किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

1.	सचिव, पशुपाल विभाग, उत्तराखण्ड शासन (पदेन)	अध्यक्ष
2.	अपर निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड शासन (पदेन)	उपाध्यक्ष
3.	अपर निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड शासन (पदेन)	सदस्य
4.	मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0 (पदेन)	सदस्य
5.	निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
6.	प्रबन्ध निदेशक, कुमायू मण्डल विकास निगम अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
7.	प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
8.	महाप्रबन्ध निदेशक, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
9.	मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एस0डब्लू0डी0बी0 (पदेन)	सदस्य / सचिव

8.3— उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड

1—	स्थापना—	2004
2—	मुख्यालय—	पशुलोक—ऋषिकेश, देहरादून, लैन नं0-1, डी-26, शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून।
3—	पंजीकरण संख्या—	दि0 (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)।

उद्देश्य :-

1. उत्तराखण्ड राज्य के पशुओं के कल्याण एवं उन पर हो रहा अत्याचार को रोकने, फालतू पशुओं को अनुत्पादक होने पर लावारिस हालत में छोड़ने पर संरक्षण दिलाने, फालतू एवं अन्य जीवों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने तथा पशुओं की दशा सुधारने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशन पर उत्तराखण्ड राज्य पशुकल्याण बोर्ड की स्थापना।
2. बोर्ड निकाय निगम होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होना एक सामान्य मुद्रा/मुहर होगी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की उसको शक्ति होगी। आवश्यकतानुसार अपने नाम से बाद चला सकता है या उसके नाम पर बाद चलाया जा सकता है।

मुख्य कृत्य :-

1. जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु भारत में प्रस्तुत विधि का अध्ययन करता रहे और ऐसी किसी विधि में समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों की बावत सरकार को सलाह दें।
2. जीव जन्तुओं को सामान्यतया या विशिष्टतया जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए परिवहन किये जा रहे हो या जब वे अभिनयकर्ता जीव जन्तु के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे हो या जब वे बन्धन या प्रतिरोध में रखे गये हो तब अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने की दृष्टि से इस नियम के अधीन नियम बनाने बावत सरकार को सलाह दे।
3. भारवाही जीव जन्तुओं पर भार कम करने के लिए यानों के डिजाइनों में सुधार सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति को सलाह दे।
4. शेडों, जलनादों और तदूप चीजों का सन्निर्माण प्रोत्साहित या उपबन्धित करने, जीव जन्तुओं के लिए पशु चिकित्सा सहायता उपबन्धित करने, पशुओं की बेहतरी के लिए उपाय करने हेतु जैसा बोर्ड ठीक समझे वैसा उपाय करें।
5. बधालयों की डिजायन या बधालयों को चलाने या जीव जन्तुओं के बध के सम्बन्ध में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को सलाह दें। ताकि जहां तक सम्भव हो पशु को वध से पहले के कार्यक्रम में अनावश्यक शारिरीक या मानसिक पीड़ा न हो। जहां की जीव जन्तुओं को मार देना आवश्यक हो वहां यथा सम्भव मानवोचित रीति से किया जाय।
6. जब कभी अवांछनीय जीवन जन्तु को नष्ट किया जाना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा या तो तुरन्त किया जाय या जीव जन्तु को अचेत करके किया जाय या जैसा बोर्ड उचित समझे वैसा उपाय करें।
7. ऐसे पिंजरापोलो बचावगृहों, पशुआश्रमों, पशुवनों अन्य स्थानों जहां पशु-पक्षी बूढ़े व बेकार हो जाने पर या जब उन्हें संरक्षण की आवश्यकता के रूप में अनुदान दे या अन्यथा प्रोत्साहित करें।

8. जीव जन्तु को अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने के लिए या जीव जन्तु तथा पक्षियों की संस्था के लिए स्थापित संस्थाओं या निकायों के साथ सहयोग एवं उनके कार्यों का समन्वय करें।
9. स्थानीय क्षेत्रों में कार्यशील जीव जन्तु कल्याण संगठनों को वित्तीय या अन्य सहायता दें या किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे जीव जन्तु कल्याण संगठनों का बनाया जाना प्रोत्साहित करें। जो बोर्ड के साधारण पर्यवेक्षण एवं प्रदर्शन के अधीन कार्य करें।
10. जीव जन्तु अस्पतालों में जिस चिकित्सकीय देखरेख एवं सावधानी का उपबन्ध हो उससे सम्बन्धित विषयों पर सरकार को सलाह दें और जब कभी कोई आवश्यक समझे जीव जन्तु अस्पतालों को वित्तीय या अन्य सहायता दें।
11. जीव जन्तुओं के साथ मानवोचित बरताव करने के उद्देश्य से शिक्षा/प्रशिक्षण दें, जीव जन्तुओं को अभिवर्धन के पक्ष में भाषणों, पुस्तकों, पोस्टरों या चल चित्र प्रदर्शनों एवं विभिन्न साधनों के द्वारा लोकमत या अन्य सहायता दें।
12. जीव जन्तु के कल्याण व अनावश्यक पीड़ा यातना देने के निवारण हेतु किसी भी विषय पर सरकार को सलाह दें।

प्रारूप एवं वर्तमान सदस्य: स्वरूप: उत्तराखण्ड सरकार का एक उपक्रम

वर्तमान सदस्य :-

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 1. | मा0 मंत्री जी महोदय पशुधन एवं मत्स्य उत्तराखण्ड | प्रदेश अध्यक्ष |
| 2. | राज्य सरकार द्वारा नामित (पशुकल्याण के आधार पर) | उपाध्यक्ष |
| 3. | सचिव/अपर सचिव एवं मत्स्य उत्तराखण्ड शासन | पदेन सचिव |
| 4. | निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 5. | मुख्य वन जीव संरक्षक उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 6. | गौशाला के 10 (राज्य सरकार द्वारा नामित) | सदस्य |
| 7. | पांच पशुप्रेमी (राज्य सरकार द्वारा नामित) | सदस्य |
| 8. | समाज सेवी संस्थाओं के दो सदस्य जो पशुकल्याण का कार्य कर रहे
(राज्य सरकार द्वारा नामित) | सदस्य |
| 9. | प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| 10. | निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तराखण्ड राज्य | सदस्य |
| 11. | जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तराखण्ड का एक प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामित) | सदस्य |
| 12. | विधान सभा के दो मा0 विधायक (राज्य सरकार द्वारा नामित) | सदस्य |
| 13. | सेवा निवृत्त न्यायाधीश, न्यायिक सेवा/प्रशासनिक सेवा से जुड़े प्रतिनिधि जो (राज्य सरकार द्वारा नामित) | सदस्य |

मैनुअल – 9

अधिकारियों और कर्मचारियों
की निर्देशिका

कार्यालय- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी

क्र स	नम	पदनाम	दूरभाष		पता
			कार्यालय	आवास	
1	डा0 प्रेम कुमार	अपर निदेशक	222480	9410650643	ग्राम-साल्हा खेड़ी, पो0ओ0-अलीपुर खेड़ी, मुजफ्फरनगर उ0प्र0
2	डा0 आशीष रावत	सयुक्त निदेशक	222480	9720161932	31/2 धर्मपुर पो0ओ0-आराघर देहरादून
3	डा0 आलोक खण्डूरी	पशु चिकित्साधिकारी	222480	9458359290	ग्राम-शिवपुर, तहसील-कोटद्वार पौड़ी
4	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	मुख्य प्रशा0 अधिकारी	222480	9410343129	ग्राम-उर्रेगी, पट्टी-पैदलस्यू, पौड़ी
5	श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान	वरिष्ठ प्रशा0 अधिकारी	222480	9456153238	ग्राम-ढांडरी पट्टी-नादलस्यू, पौड़ी
6	श्रीमती विनय लक्ष्मी रावत	प्रशासनिक अधिकारी	222480	8477081646	तहसील रोड़, तारा लॉज, पौड़ी
7	श्री शंकर सिंह	सांख्यकीय अधिकारी	222480	9410541337	641 विवेकानन्दनगर गाजियाबाद
8	श्री धीरेन्द्र सिंह सजवाण	चारा विकास अधिकारी	222480	9412108131	जागृति विहार फेस-2 बट्टीपुर देहरादून
9	श्री अशोक चौधरी	सहायक लेखाधिकारी	222480	9412383964	बलदेवनगर, पो0ओ0-करुणानगर मथुरा
10	श्री विजय कुमार नवानी	सहायक लेखाकार	222480	9410355760	ग्राम-लोअर तुनुवाला, शमशेर गढ़ देहरादून
11	श्री सुमन प्रकाश भट्ट	वरिष्ठ सहायक	222480	9410537117	ग्राम भीम सिंह पुर पोओ0-कलालघाटी, पौड़ी
12	श्री मातवर सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक	222480	7895953281	ग्राम वड्डा, पो0ओ0-खाण्डूसैण, पौड़ी गढ़वाल ।
13	श्री अनिल धूलिया	वरिष्ठ सहायक	222480	9456331900	ग्राम जुगरसैण, पोओ0देवीखेत पौड़ी
14	श्रीमती ऊषा रावत	वरिष्ठ सहायक	222480	9760148425	खैरीदुई श्यामपुर, पो0ओ0-सत्यनारायण मन्दिर, ऋषिकेश
15	श्री अजय पाल	कनिष्ठ सहायक	222480	7895323060	ग्राम व पो0-कुल्हाड़, सतपुली पौड़ी
16	श्री अनिल रावत	कनिष्ठ सहायक	222480	7409582674	ग्राम-प्रेमनगर, पौड़ी
17	श्री आशीष भट्ट	कनिष्ठ सहायक	222480	8650260658	ग्राम-मकलोड़ी पो0-दोंदल पौड़ी गढ़वाल
18	श्री चन्द्र प्रकाश मंगगाई	कनिष्ठ सहायक	222480	8171225820	ग्राम-सिमतोली पट्टी-खातस्यू, पौड़ी
19	श्रीमती वन्दना काला	कनिष्ठ सहायक	222480	9456533831	ग्राम-बुडोली पौड़ी गढ़वाल
20	श्री सुरेश चन्द्र उनियाल	वाहन चालक	222480	8755298258	ग्राम- चौण्डा पो0-चरधार पौड़ी
21	श्री नागेन्द्र नौटियाल	चतुर्थ श्रेणी	222480	8449173208	ग्राम चवथ, इडवालस्यू, पौड़ी गढ़वाल
22	श्री ज्ञान सिंह	चतुर्थ श्रेणी	222480	9760405798	ग्राम- बेजवाडी नान्दलस्यू, पौड़ी
23	श्री मातवर सिंह	चतुर्थ श्रेणी	222480	9639126971	ग्राम-ओजली पो0-पौड़ी
24	श्रीमती अनिता देवी	चतुर्थ श्रेणी	222480	9917668621	ग्राम सुनार ढाडरी पो0ओ0, बिचली ढाडरी, पौड़ी गढ़वाल ।
25	श्रीमती लज्जू देवी	प्रयोग0परि0	222480	9837855198	ग्राम व पो0ओ0 चन्दोलाराई, पौड़ी ।

मैनुअल – 10

प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें विनियकों के यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हैं।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी

क्र स	नाम	पदनाम	वेतनमान	लेवल	वार्षिक पारिश्रमिक 2018-19	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति
1	डा0 प्रेम कुमार	अपर निदेशक	123100-215900	13	2052248.00	निर्धारित वेतनमान के आधार पर
2	डा0 आशीष रावत	सयुक्त निदेशक	78800-209200	12	1710111.00	- तदैव -
3	डा0 आलोक खण्डूरी	पशु चिकित्साधिकारी	56100-177500	10	805748.00	- तदैव -
4	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	मुख्य प्रशासनिक अधि०	56100-177500	10	889806.00	- तदैव -
5	श्री बीरेन्द्र सिंह चौहान	वरिष्ठ प्रशा०अधिकारी	47600-151100	08	690298.00	- तदैव -
6	श्री धीरेन्द्र सिंह सजवाण	चारा विकास अधि०	56100-177500	10	1091044.00	- तदैव -
7	श्रीमती विनय लक्ष्मी रावत	प्रशासनिक अधिकारी	44900-142400	07	783502.00	- तदैव -
8	श्री शंकर सिंह	सांख्यकीय अधिकारी	44900-142400	07	642298.00	- तदैव -
9	श्री अशोक चौधरी	सहायक लेखाधिकारी	56100-177500	10	832772.00	- तदैव -
10	श्री विजय कुमार नवानी	सहायक लेखाकार	35400-112400	06	718372.00	- तदैव -
11	श्री सुमन प्रकाश भट्ट	वरिष्ठ सहायक	44900-142400	07	621222.00	- तदैव -
12	श्री मातवर सिंह रावत	वरिष्ठ सहायक	35400-112400	06	623820.00	- तदैव -
13	श्री अनिल धूलिया	वरिष्ठ सहायक	29200-92300	05	495652.00	- तदैव -
14	श्रीमती ऊषा रावत	वरिष्ठ सहायक	44900-142400	07	658334.00	- तदैव -
15	श्री अजय पाल	कनिष्ठ सहायक	21700-69100	03	321738.00	- तदैव -
16	श्री आशीष भट्ट	कनिष्ठ सहायक	21700-69100	03	362334.00	- तदैव -
17	श्री अनिल रावत	कनिष्ठ सहायक	29200-92300	05	467176.00	- तदैव -
18	श्रीमती वन्दना काला	कनिष्ठ सहायक	21700-69100	03	297496.00	- तदैव -
19	श्री चन्द्र प्रकाश मंगगाई	कनिष्ठ सहायक	21700-69100	03	315172.00	- तदैव -
20	श्री सुरेश चन्द्र उनियाल	वाहन चालक	35400-112400	06	726588.00	- तदैव -
21	श्री नागेन्द्र नौटियाल	चतुर्थ श्रेणी	25500-81100	04	409881.00	- तदैव -
22	श्री ज्ञान सिंह	चतुर्थ श्रेणी	29200-92300	05	510798.00	- तदैव -
23	श्री मातवर सिंह	चतुर्थ श्रेणी	29200-92300	05	523162.00	- तदैव -
24	श्रीमती अनिता देवी	चतुर्थ श्रेणी	19900-63200	02	357119.00	- तदैव -
25	श्रीमती लज्जू देवी	प्रयोग०परि०	25500-81100	04	469812.00	- तदैव -

मैनुअल – 11

सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरणों को आवंटित बजट ।

1- निर्माण विकास तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकारों के लिए

(धनराशि हजार रू० में)

क्र. सं.	योजना का नाम	कार्य	कार्य प्रारम्भ होने का दि०	कार्य समापन होने की अनुमानित तिथि	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किस्तों में)	कुल व्यय	कार्य गुणवत्ता समापन कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2- अन्य लोक प्राधिकरणों के लिए -

3- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 (हजार रू० में) -

क्र.सं.	मद	प्राप्त बजट	माह मार्च, 2019 तक व्यय	अन्य वितरण
1	01 वेतन	16156600	16156600	—
2	03 मंहगाई भत्ता	1854824	1854824	—
3	04 यात्रा भत्ता	98295	97956	—
4	05 स्थाना० यात्रा भत्ता	65658	65658	—
5	06 अन्य भत्ता	1695144	1691044	—
6	07-मानदेय	0	0	—
7	08 कार्यालय व्यय	99995	99995	—
8	09 विद्युत	21221	21221	—
9	10 जलकर	0	0	—
10	11 लेखन	10000	10000	—
11	12 फर्नीचर	0	0	—
12	13 टेलीफोन	18700	18700	—
13	15 डीजल	190000	190000	—
14	16 व्यवसायिक	8800	8800	—
15	17 किराया	155202	155202	—
16	18 प्रकाशन	0	0	—
17	19 विज्ञापन	0	0	—
18	26 मशीन	0	0	—
19	27 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	33012	33012	—
20	29 अनुरक्षण	0	0	—
21	39 औषधि	0	0	—
22	42 अन्य व्यय	0	0	—
23	45-एल०टी०सी०	33015	33015	—
24	46-कम्प्यूटर क्रय	0	0	—
25	47-कम्प्यूटर स्टेशनरी	13000	13000	—
	योग	20453466	20449027	—

4- पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता -

मद	आवंटन	व्यय
42-अन्य व्यय	100000	100000
योग	100000	100000

5- पशु रोगों पर नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ)-

मद	आवंटन	व्यय
42-अन्य व्यय	100000	100000
योग	100000	100000

मैनुअल – 12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहकों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

12- अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियाचयन की रीति-

अनुदान/राज्य सहायता सम्बन्धित योजनाओं का प्राविधान जिला योजना के अन्तर्गत किया जाता है, जिला योजना के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त कर शासन/निदेशालय स्तर से सीधे जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को आवंटित की जाती है। लाभाग्राहियों को चयन एवं प्रदत्त सुविधा के ब्यौरे जनपद स्तर पर ही रखे जाते हैं।

विभाग के अन्तर्गत जनपद स्तर पर स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के इच्छुक पशुपालकों को उन्नत नस्ल की गाये 75 प्रतिशत विभाग द्वारा भागीदारी एवं 25 प्रतिशत पशुपालक द्वारा योजना में भागीदारी कर वितरित की जाती है।

चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुपालकों को मौसम के अनुसार 2 कि०ग्रा० के चारा किट निःशुल्क वितरित किये जाते हैं।

बैन्चर कैटिल फन्ड की योजना भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई जिसके अन्तर्गत पशुपालकों से जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा आवेदन प्राप्त कर सम्बन्धित बैंक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाते हैं।

ऐसकेड योजना के अन्तर्गत पशुओं में टीकाकरण का प्राविधान है, मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों के द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड में गोष्ठी का आयोजन कर पशुपालकों को पशुओं के रोगों एवं उनके रोकथाम हेतु उचित मार्ग निर्देशन किया जाता है। पशुपालकों व जनप्रतिनिधियों को विभागीय कार्यक्रमों से अवगत कराकर प्रचार-प्रसार करते हुए कार्यक्रमों की ओर प्रेरित किया जाता है।

कुक्कुट पालक योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर मुख्य तकनीकी अधिकारी (कुक्कुट) के द्वारा इच्छुक कुक्कुट पालकों को एक सप्ताह का कुक्कुट प्रशिक्षण दिया जाता है। कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है तथा विभागीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों से चुजा वितरण किया जाता है।

उक्त सभी कार्यक्रमों के ब्यौरे जनपद स्तर पर रखे जाते हैं तथा जनपद स्तर के अधिकारियों के द्वारा अपने स्तर पर तैयार किये गये मैनुअलों में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

मैनुअल – 13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञा पत्रों या
प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ता की विशिष्टियां

13- रियायतों/अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों प्राप्तकर्ताओं के सम्बन्ध -

विभागीय द्वारा प्रदत्त	प्राप्तकर्ता का नाम	वैधता किस दि० तक है	वल्दियत	निवास		
				जिला	शहर	ग्राम/मौहल्ला
-	-	-	-	-	-	-

मण्डल स्तर पर उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई विशिष्टियां नहीं हैं, विभाग द्वारा पशु चिकित्सा, पशुओं में दुग्ध उत्पादन हेतु कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा पशुओं की नस्ल सुधार एवं क्षेत्र में भेड़ों में ऊन उत्पादन कार्यो को बढ़ावा देने हेतु भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के मेढों का वितरण रोगों की रोकथाम में पशुओं में टीकाकरण, दवापन व दवास्नान कार्य प्रचार-प्रसार चारा उत्पादन आदि सुविधाएँ पशुपालकों को प्रदत्त की जाती हैं, रियायतें आदि जनपद स्तर पर जिला योजना के अन्तर्गत प्रदत्त की जाती हैं जिनका विवरण मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मैनुअलों में किया जाता है।

मैनुअल – 14

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसमें उपलब्ध हो या उसके द्वारा पारित हो ।

14— कास्तकारों/पशुपालकों को सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न प्रणाली विभाग द्वारा अपनाई जाती है —

1. क्षेत्र में प्रचार प्रसार ।
2. प्रशिक्षण ।
3. विज्ञापनों/समाचार पत्रों ।
4. रेडियों/वीडियों कॉन्फ्रेन्स ।
5. फ़ैक्स — ई-मेल ।
6. विभाग द्वारा समय-समय पर प्रकाशित पत्रिकाओं द्वारा ।

मैनुअल – 15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सूविधाओं की विशिष्टियां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के लोग उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं कार्यकरण घण्टे सम्मलित हैं।

15— सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सूविधाओं का विवरण –

1. प्रदर्शनी ।
2. समाचार पत्र ।
3. सूचना पट ।
4. विभागीय मैनुअल/पत्रिकाओं ।
5. विभागीय गोष्ठी ।
6. विभागीय बैठकें ।

मैनुअल — 16

लोक सूचना अधिकारियों
और कर्मचारियों
का नाम, पदनाम और
अन्य विशिष्टियां ।

लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम

(क) सहायक लोक सूचना अधिकारी –

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	पता
				कार्या0	आवास		
1	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01368	222480	9410343129	223215	कार्यालय-अपर निदेशक पशुपालन विभाग गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

(ख) लोक सूचना अधिकारी –

क्र.सं.	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	पता
				कार्या0	आवास		
1	डा0 आशीष रावत	सयुक्त निदेशक	01368	222480	9720161932	223215	कार्यालय-अपर निदेशक पशुपालन विभाग गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

(ग) अपीलीय अधिकारी –

क्र.सं.	नाम	पदनाम	एस0टी0 डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	पता
				कार्या0	आवास		
1	डा0 प्रेम कुमार	अपर निदेशक	01368	222480	9410650643	223215	कार्यालय-अपर निदेशक पशुपालन विभाग गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

प्रत्येक जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अपीलीय अधिकारी है तथा उनके अधीनस्थ प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर पशु चिकित्साधिकारी सहायक सूचना अधिकारी है, जिनके लोक सूचना अधिकारी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय-मुख्य पशु चिकित्साधिकारी है।

मैनुअल — 17

ऐसी अन्य सूचनाएँ जो विधित
की जायं।

- 17 (1) लोक प्राधिकारण से जनमानस द्वारा सामान्य: पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर प्रकरण पर कार्यवाही अपेक्षित है।
- 17 (2) सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में –
- 1– आवेदन पत्र द्वारा ।
 - 2– सूचना प्राप्त करने हेतु शुल्क रू0 10.00 ।
 - 3– सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात उपलब्ध कराये जायेगी, तथा सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना के प्रत्येक पृष्ठ हेतु रू0 2.00 प्रति पृष्ठ की दर से अतिरिक्त शुल्क लोक सूचना प्राधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।

17 (3) परिभाषायें –

- | | | |
|---------------|---|---------------------------|
| 1– मु0प0चि0अ0 | – | मुख्य पशु चिकित्साधिकारी। |
| 2– मु0त0अ0 | – | मुख्य तकनीकी अधिकारी। |
| 3– प0चि0अ0 | – | पशु चिकित्साधिकारी। |
| 4– प0प्र0अ0 | – | पशुधन प्रसार अधिकारी। |
| 5– वै0फा0 | – | वैटनरी फार्मसिस्ट। |

17 (4) विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क –

- | | | |
|--|---|--------------------|
| 1– पशुधन प्रसार अधिकारी | – | संस्थाओं पर तैनात |
| 2– पशुचिकित्साधिकारी | – | पशुचिकित्सालयों पर |
| 3– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी | – | जनपद स्तर पर |
| 4– मुख्य तकनीकी अधिकारी | – | संस्था पर |
| 5– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी | | |
| 6– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून | | |

17 (5) पशुपालन विभाग द्वारा सम्बन्धित सूचनाएँ –

1– पशु चिकित्सा – विभागीय संस्थाओं के क्षेत्रान्तर्गत पशुओं के रोगों के निदान एवं उपचार कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

2– **बधियाकरण** – अनुपयोगी एवं निम्न प्रजनन क्षमता के स्थानीय सांडों का वैज्ञानिक विधि से बधियाकरण करके कम गुणवत्ता के जर्मप्लाज्म को फैलने से रोकना जिससे नस्ल सुधार कार्यक्रम को प्रदेश में और तीव्र गति से चलाया जा सके।

3– **टीकाकरण** – पशुओं में होने वाले भयानक संक्रामक होने वाले रोगों जैसे एफ0एम0डी0, गलाघोटू, ब्लैक क्वार्टर, पी0पी0आर0 आदि रोगों से बचाव हेतु ग्राम स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाना, जिससे बहुमूल्य पशुओं को हानि से रोका जा सके।

- 4- **दवापान एवं दवास्नान** – पशुओं में होने वाले अन्तपरजीवी एवं बाह्यपरजीवी से बचाव हेतु दवापान एवं दवास्नान की सुविधा मुहिया कराकर पशुओं के उत्पादन एवं शाररिक क्षमता में वृद्धि करना।
- 5- **कृत्रिम गर्भाधान** – उत्तराखण्ड लाइबस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड के सहयोग से मण्डल के 294 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर उच्च गुणवत्ता के सीमन द्वारा गाय/भैंसों में नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- 6- **नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रम** – मण्डल के क्षेत्रान्तर्गत दूर-दराज के क्षेत्रों में उत्तराखण्ड लाइबस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा नैसर्गिक प्रजनन हेतु उन्नत नस्ल के गाय एवं भैंसा सांडों का वितरण करवाकर नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- 7- **भेड़ों में नस्ल सुधार कार्यक्रम** – उत्तराखण्ड शीप एण्ड ऊल डेवलपमेन्ट बोर्ड के माध्यम से भेड़ों में नस्ल सुधार हेतु मण्डल में पशुपालकों को उन्नत नस्ल के मेडे निःशुल्क वितरित किये जा रहे हैं।
- 8- **ग्रामीण कुक्कुट विकास परियोजना** – उत्तराखण्ड में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट वितरण का कार्यक्रम ग्रामीण परिवेश में उच्च गुणवत्ता का मॉस एवं अण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
- 9- **चारा मिनी किट वितरण** – उच्च गुणवत्ता के चारा बीजों का पशुपालकों में वितरण किया जा रहा है जिसमें पशुओं को पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध हो सके, हरे चारे के उत्पादन से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जा रही है।
- 10- **बांझपन कैम्प का आयोजन** – ग्रामीण स्तर पर पशुओं में होने वाले बांझपन, कम उत्पादकता के निवारण हेतु पशु में बांझपन के निवारण कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है।
- 11- **पशुपालन गोष्ठी एवं प्रदर्शनी** – पशुपालकों को रोजगारपरक एवं आर्थिक उन्नति के लिए पशुपालन गोष्ठी एवं पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है ताकि जनता में जागरूकता लाकर अन्य स्तर पर रोजगार मुहिया कराया जा सके।
- 12- **एन0एल0एम0 अन्तर्गत चारा विकास योजना**– गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत जनपद-पौड़ी एवं हरिद्वार को छोड़कर संचालित की जा रही है।

पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोग, लक्षण और बचाव

वह रोग जो वैक्टीरियां, वायरस तथा प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है संक्रामक रोग कहलाते हैं। पशुपालक जानते हैं कि संक्रामक रोगों द्वारा दुधारू पशुओं में शाररिक एवं आर्थिक हानि हुआ करती है।

1— **खुरपका—मुँहपका रोग** — यह एक भयानक संक्रामक वायरस जनित रोग है रोग में पशुओं को तेज बुखार आता है जो 104° फारेनाईट तक पहुंच जाता है। मुंह से लार टपकती है, खुर में घाव हो जाने पर पशु एक स्थान पर खड़ा नहीं रह पाता है, लंगड़ाकर चलता है, घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं पशु खाना—पीना छोड़ देता है, दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाती है।

बचाव — इसका टीका पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा रियायती दर पर लगाया जाता है। यह टीका वर्षा प्रारम्भ होने से पहले मई जून में लगवा लेना चाहिए यह टीका लगवाकर माहमारी से बचा जा सकता है यदि बीमारी हो जाय तो बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए।

2— **पोंकनी रोग** — यह भी वायरस जनित भयानक रोग है इससे काफी पशुओं की मृत्यु हो जाती है बीमार पशु बुखार 105 से 107° फारेनाईट तक आता है। दस्त आते हैं, मुंह जीभ में छाले पड़ जाते हैं पशु कमजोर हो जाता है, आँखे बैठ जाती हैं, नाक आँख मुंह से पानी गिरने लगता है पशु कमजोर होकर लड़खड़ाकर गिर जाता है और मर जाता है।

बचाव — स्वस्थ पशुओं में बचाव के लिए टीका लगवा लेना आवश्यक है यह टीका अक्टूबर/नवम्बर में लगाया जाता है इसमें जी0टी0बी0 तथा लैपिनाइज्ड वैक्सीन मुख्य है। आजकल रिन्डरपेस्ट उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है इस हेतु आर0पी0 खोज कार्य जारी है इसलिए टीकाकरण का कार्य नहीं कराया जा रहा है।

3— **माता रोग** — यह विषाणू जनित रोग है इसमें अयन तथा थनों में छाले पड़ जाते हैं बाद में घाव बन जाते हैं, जिससे थनैला रोग होने का भय उत्पन्न हो जाता है।

बचाव — बीमार पशु को अलग रखना चाहिए तथा घाव में एन्टी—सैप्टिक मलहम लगाना चाहिए।

4— **रैबीज** — यह रोग पागल कुत्ते, सियार के काटने से होता है यह रोग वायरस जनित है प्रमुख लक्षणों में पशु का उग्र होना मुँह से लार टपकना रोगी पशु कंकड़ तथा मिट्टी को चबाने का प्रयास करता है अन्त में लकवा मार जाता है और पशु की मृत्यु हो जाती है। बीमार पशु की लार लगने से मनुष्य में यह रोग फैल जाता है।

बचाव — पशु के घाव को कार्बोलिक एसिड, साबुन द्वारा साफ कराना चाहिए उसके बाद एन्टी—रैबीज का टीका लगवाना चाहिए क्योंकि लक्षण पैदा होने पर उपचार असम्भव हो जाता है या टीका राजकीय पशु चिकित्सालय द्वारा लगाया जाता है।

5- **गलाघोंटू** – जीवाणू जनित रोग है यह पॉस्टुरैल्ला जीवाणू द्वारा होता है इस रोग में 104 से 106° तक बुखार आता है। गले में सूजन आती है, सांस लेने में कठिनाई होती है उपचार न कराने पर पशु 24 घण्टे में मर जाता है यह रोग आमतौर पर बरसात में होता है परन्तु वर्ष में कभी भी हो सकता है।

बचाव – रोग की रोकथाम के लिए पशुओं में प्रतिवर्ष माह मई जून में टीका लगवा लेना चाहिए। रोग हो जाने पर बीमार पशु को अलग रखना चाहिए तथा उपचार करायें।

6- **लगड़िया बुखार** – यह भी जीवाणू जनित रोग है यह क्लोस्ट्रिडियम चोबिआई द्वारा फैलता है मुख्यतः यह रोग 6 महीन से 2 वर्ष तक की आयु के पशुओं में होता है। प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार आना, पैर में सूजन आना और सूजन में गैस भर जाना है सूजन को दबाने से चरचराहट की आवाज आती है।

बचाव – रोग की रोकथाम के लिए पशुओं में अगस्त सितम्बर में टीका लगाना चाहिए बीमार पशु का एन्टी-ब्लैक क्वार्टर सीरम लगवाना चाहिए मरे पशु को जमीन में गाढ़ देते हैं जिससे संक्रामक न हो सके।

7- **जहरी बुखार** – यह रोग बैसिलस एन्थ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है इस रोग के प्रमुख लक्षणों में 105 से 108° फारैनाईट तक बुखार आता है तिल्ली बड़ जाती है तथा खून का रंग काला हो जाता नाखूनों से खून निकलता है। अन्तः 24 से 48 घण्टे में पशु की मृत्यु हो जाती है रोग संक्रमण द्वारा मनुष्यों में भी फैल जाता है यह जैनेटिक रोग है।

बचाव – रोग के बचाव के लिए स्वस्थ पशुओं में अगस्त माह में एन्थ्रेक्स का टीका लगवाना चाहिए। मरे हुए पशु की खाल नहीं निकालनी चाहिए और शव को गहरे गड़ड़े में चूना डालकर दबा देना चाहिए।

इन समस्त रोगों के लक्षण उत्पन्न होने पर पशु चिकित्सक की सलाह से उपचार कराये, जिससे पशुपालक शासन द्वारा उपलब्धसेवाओं का लाभ उठाकर आर्थिक हानि से बच सकें ।

पशुपालन कैसे करें

पशु की आवास व्यवस्था :-

- 1- पशुशाला का निर्माण ऊचे स्थान पर करें।
- 2- पशु के खडे होने का स्थान आगे से पीछे की ओर ढाल वाला हो, तथा चिकना न हो वरना पशु के फिसलने का खतरा रहता है।
- 3- खुला हवादार स्थान हो तथा फर्श पक्का हो।
- 4- पानी के स्तर से ऊचे वाले स्थान पर पशुशाला बनायें।
- 5- गोबर, पेशाब गड्ढें में एकत्र कर खाद बनानी चाहिए।
- 6- पशुशाला की सफाई नियमित रूप से दो बार करें।
- 7- पशुशाला के पास छायादार वृक्ष हो।
- 8- पशु को स्नान कराने की व्यवस्था हों।

कृत्रिम गर्भाधान क्यों अपनायें :-

- 1- उच्च गुणवत्ता के साण्ड सरलता से नहीं मिलते।
- 2- प्रत्येक साण्ड के रख रखाव एवं चारे पर अधिक खर्च आता है।
- 3- छोटे आकार के पशुओं में नैसर्गिक प्रजनन में परेशानी होती है।
- 4- साण्ड द्वारा प्रजनन से जननांग की बीमारी फैलती हैं।
- 5- बीर्य की जांच साण्ड में सम्भव नहीं हो पाती है कृत्रिम गर्भाधान से पूर्व वीर्य जांच कर प्रयोग करते हैं।
- 6- साण्ड में एक बार के वीर्यदान से एक पशु गर्भित होता है, जबकि उसी बीर्य की मात्रा से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 20-30 पशु गर्भित किये जाते हैं।
- 7- साण्ड की मृत्यु के पश्चात भी उसकी संतति प्राप्त की जा सकती है।
- 8- किसी दूरस्थ स्थानों पर पहाड़ों पर भी कृत्रिम गर्भाधान द्वारा संतति आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
- 9- एक दिन में साण्ड द्वारा अधिकतम दों कवरिंग होती है, जबकि कृत्रिम गर्भाधान द्वारा एक दिन में कितनी भी संख्या में पशुओं को गर्भित किया जा सकता है।

अच्छा दुग्ध उत्पादन- महत्वपूर्ण तथ्य :

- 1- पशु का दुहना नियमित रूप से निश्चित समय पर करें।
- 2- दुहाने से पूर्व थन को लाल दवा के पानी से साफ करें।
- 3- दुहान का बर्तन ऊपर से आधा तिरछा/ढका हुआ हों।
- 4- दुहान निरोग व्यक्ति द्वारा हाथों को साबुन से स्वच्छ कर अथवा लाल दवा से धोकर किया जाय।
- 5- दुहान के समय शान्ति का माहौल हो, हल्का संगीत बजाने से अधिक उत्पादन मिलता है।
- 6- दुहान का कार्य शीघ्रता से एक बार में पूरा करना चाहिए।
- 7- दुग्ध की प्रारम्भिक धार प्रयोग में नहीं लानी चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए।
- 8- गर्मियों में दिन में एक बार पशु को नहलायें एवं अधिक दुग्ध उत्पादन करें।
- 9- दुहान के समय गंध वाला आहार न खिलायें, या ग्वालों को इत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए अन्यथा दुग्ध से गंध आ जायेगी।

भारतीय पशुओं के आनुवांशिक पदार्थ के संरक्षण की आवश्यकता :

- 1- भारतीय नस्ल की दुग्ध उत्पादन क्षमता काफी है।
- 2- भारतीय नस्ल की दुग्ध उत्पादन क्षमता काफी अच्छी है।
- 3- भारतीय नस्लों की बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक है।
- 4- नर बच्चों की कार्यक्षमता अधिक होती हैं।
- 5- भारतीय नस्लों में वसा का प्रतिशत अधिक होता है।
- 6- रखरखाव में कम खर्च आना।
- 7- डिस्टोकिया का प्रतिशत कम होना।

मुर्गियों के मुख्य रोग, लक्षण निदान, टीकाकरण एवं रोग नियंत्रण

मुर्गियों के मुख्य रोग निम्न प्रकार हैं :

1— **रानीखेत** — मुर्गियों में यह बीमारी सबसे घातक है, यह एक विषाणु से होती है जैसे तो यह रोग सभी आयु वर्ग में फैलता है परन्तु चूजों में यह अत्यधिक उग्र रूप से फैलता है। गले में घरघराहट, बलगम की शिकायत, शांस लेने में कठिनाई, मुंह खोलकर शांस शरीर की मांसपेशियों में कम्पकपाहट चलने में लंगड़ापन तथा पैरों में लकवा होना, तेज बुखार, बीट पानी जैसी पतली बदबुदार तथा पंख बिखर जाते हैं। कलंगी काली पड़ जाती है। सर, पैर या पंजे के बीच कर लेती है। यदि पक्षी अण्डे देने वाली हो तो उसके अण्डा उत्पादन में गिरावट, अण्डे का छिलका काफी पतला तथा उनका आकार भी कम होता है आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग का कोई उपचार नहीं है। रोग होने पर शत प्रतिशत तक मृत्यु हो जाती है यदि समय पर टीकाकरण किया जाय तो रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। रानीखेत एफ वन स्टेन की बूंद नाक में तथा एक बूंद आँख में एक से छः दिन तक डाल दी जाये तो दो माह की उम्र तक रानीखेत से पक्षियों का बचाव किया जा सकता है। 6 से 8 सप्ताह बाद नये पक्षियों को रानीखेत का टीका लगा दिया जाता है और ऐसा करके पक्षियों को रानीखेत रोग से जीवन भर के लिये सुरक्षित कर लिया जाता है बीमार पक्षियों को तुरन्त बदल दिया जाये तो बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।

2— **मुर्गी चेचक** — यह दूसरी मुख्य फैलने वाली बीमारी है यह एक किस्म के विषाणु द्वारा होती है। यह सभी आयु के पक्षियों में होती है परन्तु बड़ों में अधिक होती है।

लक्षण — यह भूख की कमी सुस्त सांस लेने में तकलीफ नाक या आँख से पानी आना, कलंगी, कर्णफूल और पैरों में चेचक के दाने पैदा होना, तेज बुखार, कानों में झागदार पदार्थ जमा हो जाना, मुंह में झिल्ली पैदा होना और यदि झिल्ली न निकाली गई तो दम घुटने लगता है। अण्डा उत्पादन गिर जाना, मृत्यु छोटे बच्चों में अधिक तथा बड़ों में कम होती है। इस बीमारी से 60 प्रतिशत तक मृत्यु सम्भव है। इस रोग से बचाव के लिए आवश्यक है कि दो माह की उम्र पर फाउल पोक्स का टीका लगाया जाये। इस रोग से बचाव के उपाय को ही प्राथमिकता दी जाती है। परन्तु यदि रोग हो जाये तो स्वस्थ पक्षियों को तुरन्त बीमार पक्षियों से अलग कर टीका लगा दिया जाना चाहिये, बाड़ों में सफाई तथा कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव कर बीमार पक्षियों को सन्तुलित आहार तथा पानी के साथ एन्टीबायोटिक तथा विटामिन्स दिये जाये। मुंह में यदि झिल्ली हो गयी हो तो उसे निकाल देना चाहिये।

3— **जुकाम लगना (फाउल कोराइजा)** — यह जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है जो अतिशीघ्र मुर्गीयों को अपनी पकड़ में ले लेता है इस बीमारी के मुख्य लक्षणों में छीक आना, खांसना, सांस लेने में कठिनाई होना, सिर को ऊठाना तथा चेहरे, कर्णफूल में सूजन, आँख तथा नाक से दुर्गन्धित द्रव का निकलना, भूख में कमी हो जाना, अण्डों की उत्पादन क्षमती में कमी हो जाना। रोग के उपचार के लिये सॅलयुक्त औषधियां आहार या पानी में देनी चाहिए। इस के साथ-साथ अच्छे एन्टीबायोटिक्स भी दिये जाते हैं रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पक्षियों को तुरन्त अलग कर देना चाहिए।

4— **मुर्गी का हैचा रोग (फाउल कालरा)** — यह भी जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है यह अधिकतर वर्षा ऋतु में फैलता है जब बीमारी का प्रकोप होता है तो बिना लक्षण दिखाये काफी संख्या में मृत पाये जाते हैं इस बीमारी में हरे-पीले दस्त भूख में कमी कभी-कभी सांस लेने में कठिनाई, प्यास अधिक लगना जोड़ों में सूजन, कलंगी तथा गर्णफूल में सूजन या काला पड़ जाना तथा भार में गिरावट आने के लक्षण दिखाई देते हैं। इससे कभी-कभी छः से आठ सप्ताह के आयु वर्ग की मुर्गियों में रोग होता है परन्तु सामान्यतः बड़ी मुर्गियों में ही यह रोग होता है। मृत्यु कभी कम कभी अधिक होती है रोग के उपचार में सल्फा दवाओं का प्रयोग किया जाता है एन्टीवायोटिक द्वारा भी उपचार हो जाता है। रोग से बचाव के लिए डेढ़ माह से अधिक पक्षियों में फाउल कालरा का टीका लगवा लेना चाहिए। रोग नियंत्रण के लिए बीमारी के दौरान कुक्कुट गृहों में स्वच्छ हवा के आवागमन के लिए उचित व्यवस्था की जाये।

5— **लकवे का रोग (मैरिक्स डिजीज)** — यह विषाणु जनित रोग है इस बीमारी में भी मृत्यु दर अधिक होती है रोग के मुख्य लक्षण जो पाये जाते हैं उस के अनुसार बीमार पक्षियों को लकवा रोग पैदा हो जाता है व खा-पी नहीं सकते। जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है यह बीमारी आमतौर से छोटी उम्र के पक्षियों (डेढ़ माह से दो माह) में अधिक होती है। बड़े उम्र के पक्षियों में जो अण्डा देने वाली होती है, उनके पैरो तथा गर्दन में लकवा हो जाता है इन के भार में कमी हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है तथा कभी-कभी दस्तों की शिकायत होती है इस रोग से बचाव के लिए एक दिन के बच्चों को एच0वी0टी0 नामक वैक्सीन का टीका लगा दिया जाता है। इससे जीवन पर्यान्त इस रोग से सुरक्षा हो जाती है हालांकि बीमारी पैदा होने पर बीमार पक्षियों की चिकित्सा सम्भव नहीं परन्तु यदि स्वस्थ पक्षियों को अलग कर बाड़ों की सफाई, उन में कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव कर दिया जाये और बिछावन बदल दी जाये और मुर्गी बाड़ों में स्वच्छ हवा का आवागमन पर्याप्त कर दिया जाये तो स्वस्थ पक्षियों को बीमार होने से बचाया जा सकता है।

6— **चिचड़ी ज्वर (स्पाइरोकीटोसिस)** — इस रोग के कीटाणुओं की वजह चिचड़ियां होती है। यह मुर्गियों की एक आम व खतरनाक बीमारी है रोग के लक्षणों में बीमार मुर्गियों अलग-अलग रहती है, सुस्त हो जाती है, पंख बिखर जाते हैं, पैरो व पंजों में सूजन आ जाती है, कमजोर हो जाती है तथा बुखार हो जाता है, ठीक से खड़ी नहीं हो पाती, सिर झुका देती है, पानी अधिक पीती हैं। हरे रंग के तीव्र दस्त तथा मरने से पहले शरीर का तापक्रम सामान्य से कम हो जाता है। रोग से बचाव के लिए छः सप्ताह से अधिक आयु पर वैक्सीन लगायी जाती है, बीमार होने पर एन्टीवायोटिक का टीका तीन दिन तक लगवाना चाहिए। रोग नियंत्रण के लिए बाड़ों से चिचड़ियों को नष्ट कर दें इसके लिए ब्लो लैम्प का प्रयोग या फिर कीटनाशक दवा का प्रयोग करना होगा।

7— **दीर्घकालीन सांस रोग (सी0आर0डी0)** — यह भी संक्रामक रोग है जो अक्सर सर्दियों में होता है। इस रोग के फैलने पर पक्षियों में मृत्यु दर 40 प्रतिशत तक हो सकती है रोग का लक्षण, भूख कम लगना, सांस लेने में कठिनाई, आंख से तथा नाक से पानी आना तथा गले के अन्दर पीले रंग का पदार्थ जमा होना तथा एक विशेष प्रकार की आवाज करना है। इस रोग के फैलने में आहार की कमी, परजीवियों का प्रकोप, विटामिन ए की कमी तथा कुक्कुटशालाओं में नमी अधिक होना सहायक होते हैं। रोगी मुर्गियों का एन्टीवायोटिक तथा विटामिन्स द्वारा उपचार शुरू कर देना चाहिए। आहार में हरी सब्जियों या बरसीम का प्रयोग कराये। रोग नियंत्रण हेतु अण्डों की सफाई पर विशेष ध्यान दे क्योंकि बीमारी अण्डों के द्वारा खून में फैलती है।

8— **खूनी दस्त लगना (कोक्सीडियोसिस)** – यह बीमारी प्रोटोजोवा कीटाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है यह बीमारी कम आयु के चूजों में अक्सर होती है इस रोग के लक्षण जैसे पक्षी की बीट के साथ खून का आना खून मिले दस्त होना, कलंगी का सूखा पड़ जाना पक्षियों का ऊघना, भूख में कमी, अण्डा देने में कमी, पक्षियों का कमजोर हो जाना, यदि रोग की चिकित्सा शीघ्र न की जाये तो मृत्यु दर में वृद्धि हो जाना, बीमारी के उपचार के लिए पक्षियों को पानी के साथ सल्फा दवा 5 दिन तक दी जानी चाहिए। रोग नियंत्रण के लिए पक्षियों को पानी के साथ सल्फा दवा 5 दिन तक दी जानी चाहिए। रोग नियंत्रण के लिए मुर्गी को सूखा रखा जाये तथा बिछावन को पलटते रहना चाहिए या उसमें चूना छिड़क दें। मुर्गी में शुद्ध हवा की उचित व्यवस्था करें। बचाव हेतु 15 दिनों की आयु पर चूजों को किसी भी काक्सीडिया पर प्रभावी दवा का कोर्स तीन दिन तक दें पुनः एक माह की आयु पर यह कोर्स दुबारा दें। इसके बाद दो तीन माह तक प्रत्येक माह देते रहें।

9— **एस्केरियासिस** – यह रोग गोल कृमि के कारण होता है तो आंतों में पाई जाती है यह गोल तथा लम्बे होते हैं जो कि आंतों में गुच्छे बना लेते हैं इनके कारण पक्षियों के शरीर के भार में कमी, अण्डा देने की क्षमता गिर जाना, पक्षी सुस्त व कमजोर हो जाते हैं इसके बचाव व उपचार के लिए कृमिनाशक दवापान प्रतिमाह कराया जाना चाहिए।

10— **शरीर पर लगने वाले बाह्य परजीवी** – चिचड़ी, जूं, पिस्सू मुर्गी के शरीर के ऊपर पाये जाते हैं। यह मुर्गी बड़ों के दरारों में भी रहते हैं जहां से रात में निकल कर मुर्गी पर आक्रमण कर देते हैं यह उनका खून चूसते हैं जिस कारण चूजों में मृत्यु भी हो जाती है। नियंत्रण के लिए बाड़ों का सारा कूड़ा करकट जला दें, नियमित रूप से बाड़ों में कीटनाशक दवा का प्रयोग करें। जिन मुर्गियों पर कीड़े दिखाई दें उन पर भी कीटनाशक दवा का छिड़काव करायें।

नागरिक अधिकार पत्र

पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्ष 1994 में की गई। इससे पूर्व सिविल वेटनरी डिपार्टमेन्ट एवं कृषि विभाग द्वारा ही पशुपालन संबंधी कार्य सम्पादित किये जाते थे। उस समय पशुपालन विभाग द्वारा ही पशुपालन संबंधी कार्य सम्पादित किये जाते थे। उस समय पशुपालन विभाग मुख्यतः पशुरोग नियंत्रण एवं अश्व प्रजनन का कार्य करता था। बाद में पशुपालन विभाग के पृथक रूप से स्थापना होने पर सर्वांगीण विकास करने हेतु पशुचिकित्सा एवं रोग नियंत्रण के साथ-साथ पशुधन विकास प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रम भी आरम्भ किये गये। वर्तमान में पशुपालन विभाग ग्राम्य विकास से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विभाग है, जो किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु संकल्पित है।

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का उद्देश्य –

- 1- समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों द्वारा पशुधन रखना तथा उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग।
- 2- विभागीय एवं वैज्ञानिक नीतियों से विभिन्न पशुधन की प्रजनन व उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी तथा स्वदेशी पशुधन प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
- 3- पशुधन हेतु पर्याप्त चारा एवं पोषण की व्यवस्था करना तथा उन्नत पशु प्रबन्ध विधियों का प्रचार-प्रसार करना।
- 4- ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों का गांवों में ही रोजगार के अवसर प्रदान कर उनका सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन तथा उद्यमिता विकास और उसमें व्यवसायिक विविधीकरण हेतु चेतना जागृति करना।
- 5- गो नस्ल गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखना।
- 6- प्रदेश में विभिन्न पशुधन उत्पादों की क्षमता में वृद्धि कर दूध, ऊन, अण्डा वा मॉस आदि का उत्पादन बढ़ाना तथा पशुपालकों को उनके उत्पादों का समुचित मूल्य उपलब्ध कराना।

पशुपालकों एवं ग्रामीणों के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता –

पशुपालन विभाग द्वारा किसानों के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु निम्न सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं –

1. पशुचिकित्सा एवं रोगों के रोकथाम हेतु निरन्तर सेवायें 21 पशु चिकित्सालयों, पशु सेवा केन्द्र व “द” श्रेणी औषधालयों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में पशुचिकित्सालय तथा पशु सेवा केन्द्र उपलब्ध हैं।
2. विषय विशेषज्ञों द्वारा पशु चिकित्सालय शल्य किया एवं एक्स-रे आदि विभिन्न रोग निदान सेवाएँ पशुपालकों को पशु चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पॉलीक्लीनिक की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।

3. विभिन्न पशु बीमारियों के नियंत्रण हेतु सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। गलाघोटू, बी०क्यू०, खुरपका-मुँहपका, पी०पी०आर०रोग, शीप पॉक्स, एफ०पी०आर०डी० का टीकाकरण सम्पादित किया जाता है, साथ ही पशुमेला तथा हाटों में पशुओं का संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीका करना अनिवार्य किया जा रहा है।
4. पशुओं में उत्पन्न होने वाली बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने हेतु पशुपालक को भारत सरकार की 75 प्रतिशत सहायता से टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
5. पशुओं में खुरपका-मुँहपका बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने हेतु पशुपालक को भारत सरकार की 75 प्रतिशत सहायता से टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
6. रिन्डर पेस्ट घातक बीमारी प्रदेश में समाप्त हो चुकी है, परन्तु इस बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से निरन्तर सीरोसर्वेलेन्स एवं मॉनिटरिंग किया जा रहा है।
7. निदेशालय स्थित डिजीज सर्वेलेन्स एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रदेश में पशुओं की 10 प्रमुख बीमारी तथा अन्य प्रचलित बीमारियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के उद्देश्य से रोग सर्वेलेन्स का कार्य निष्पादित किया जा रहा है।
8. वर्तमान समय में बांझपन पशुओं उर्वरकता में ह्रास की जटिल समस्या हो रही है। जिसके निवारण हेतु विशेष बांझपन निवारण शिविर लगाकर पशुपालकों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
9. पशुधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख रूप से गायों एवं भैंसों में प्रजनन कार्य अतिहिमिकृत वीर्य तथा नैसर्गिक अभिजनन द्वारा किया जा रहा है। प्रजनन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने हेतु उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से गाय, भैंस प्रजनन कार्यक्रम की निरन्तरता के लिए विशेष सुविधा कराई जा रही है।
10. प्रजनन अच्छादन को 23.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी वर्षो हेतु पशु प्रजनन नीति बनाई गई है। ऊपर वर्णित विभागीय संस्थाओं के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। कृषकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु स्वरोजगार सृजन कर पैरावेट की व्यवस्था की गई है।
11. प्रदेश में गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु गोवध निवारण अधिनियम अंगीकृत कर लागू कराया जा रहा है।
12. पंजीकृत गोशालाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा स्वदेशी अधिनियम अंगीकृत कर लागू कराया जा रहा है।
13. हरे चारे की व्यवस्था में बायोमास, प्रमाणित चारा बीज उत्पादन, मिनीकितों द्वारा चारा प्रदर्शन तथा सिल्वीपाश्चर विकास पर बल देते उन्नतशील चारा बीज के मिनीकितों का वितरण किया जा रहा है।
14. भेड़ प्रजनन कार्यक्रम में सामूहिक दवापान आदि की सुविधा उत्तराखण्ड भेड़ विकास वार्ड के माध्यम से उपलब्ध किया जा रहा है।
15. बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने हेतु स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार एवं अन्य सम्बन्धित योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के युवक, युवतियों को लाभान्वित करने के लिए मिनी डेयरी, बकरी, सूकर तथा कुक्कुट इकाई की स्थापना कराई जा रही है। साथ ही विभाग द्वारा उनके लिए उक्त हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
16. प्रदेश के नागरिकों को आरोग्यदायी एवं स्वच्छ मांस उपलब्ध कराने हेतु वधशालाओं पर विभाग द्वारा गुणवत्ता मांस उत्पादन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जा रही है।